



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-30072026-274988
CG-TL-E-30072026-274988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]
No. 479]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

हैदराबाद, 30 जुलाई, 2026

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/ 8/222/2026.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी और 42ई, धारा 2सी की उप-धाराओं (5) और (6) के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा (2) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- 1.1 ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2026 कहलाएँगे।
- 1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य:

- 2.1 इन विनियमों का उद्देश्य बीमा मध्यवर्तियों को नियंत्रित करनेवाले विनियामक ढाँचे को सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधियों का संशोधन) अधिनियम, 2025 तथा भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2025 के उपबंधों के साथ सुयोजित करना है;
- 2.2 बीमा मध्यवर्तियों के आचरण में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता में वृद्धि करना और पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना।

अध्याय ।

आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 का संशोधन

(1) विनियम 4 में, उप-विनियम (3) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“उप-विनियम (2) के अंतर्गत आवेदन के साथ अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट रूप में आवेदन शुल्क अदा किया जाएगा।”

(2) विनियम 7, उप-विनियम (3) में,

- क) खंड (ग) छोड़ दिया जाएगा।
- ख) खंड (घ) छोड़ दिया जाएगा।
- ग) खंड (ङ) छोड़ दिया जाएगा।

(3) विनियम 9 में, उप-विनियम (3) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“यदि इन विनियमों के अधीन जारी किया गया अथवा इन विनियमों की अधिसूचना से पहले प्रचलन में प्रवृत्त विनियमों के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त या अभ्यर्पित किया जाता है, अथवा जहाँ इन विनियमों के अधीन पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन, अथवा वर्तमान कारपोरेट एजेंट द्वारा नये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए प्रस्तुत आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से अस्वीकृत किया जाता है, वहाँ आवेदक ऐसे निरसन, अभ्यर्पण, या अस्वीकरण, जैसी स्थिति हो, की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ही नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे नये आवेदन पर विनियम 7 के अनुसार उसके गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

बशर्ते कि जहाँ पंजीकरण अनुसूची V के खंड III के उप-खंड (2) के अधीन निरस्त किया गया है, वहाँ इस विनियम के अंतर्गत एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि की अपेक्षा लागू नहीं होगी।”

(4) विनियम 10 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“पंजीकरण की विधिमान्यता — एक बार जारी किया गया पंजीकरण अनुसूची VI में यथाविनिर्दिष्ट वापस न करने योग्य वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तक तक प्रचलन में होगा जब तक वह प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता अथवा कारपोरेट एजेंट के द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता।।”

(5) विनियम 11 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वर्तमान कारपोरेट एजेंटों को नये प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए प्रक्रिया

- (1) इन संशोधन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले तीन वर्ष की विधिमान्यता अवधि के साथ पंजीकरण प्रदत्त कारपोरेट एजेंट, 31 जनवरी, 2027 से पहले किसी भी समय, अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क के भुगतान के साथ इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए प्राधिकरण को फार्म ए में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

बशर्ते कि इस प्रकार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जब इस विनियम के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण और उसके पहले जारी किया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र अमान्य माना जाएगा।

बशर्ते कि जहाँ कारपोरेट एजेंट 31 जनवरी, 2027 से पहले आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, वहाँ वह उक्त आवेदन 31 मार्च, 2027 तक, ऐसे विलंब के लिए कारणों तथा लागू वार्षिक शुल्क और सात सौ पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान सहित प्रस्तुत कर सकता है, तथा प्राधिकरण यदि संतुष्ट होता है कि अन्यथा अनुचित कठिनाई उत्पन्न होगी, तो ऐसे आवेदन पर विचार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ आवेदन कारपोरेट एजेंट द्वारा 31 मार्च 2027 तक प्रस्तुत नहीं किया जाता, वहाँ वह पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को और उस तारीख से कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करना बंद करेगा तथा उसके बाद कारपोरेट एजेंट विनियम 4 के अनुसार पंजीकरण के लिए नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

- (2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन का प्रसंस्करण विनियम 6 और विनियम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति में किया जाएगा।
- (3) प्राधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, फार्म बी में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

(6) विनियम 12 में,

- क) उप-विनियम (1) में, शब्द “उसका नवीकरण” और “अथवा नवीकरण करना” छोड़ दिये जाएँगे।
- ख) उप-विनियम (2) में, शब्द “अथवा नवीकरण करना” छोड़ दिये जाएँगे।

(7) विनियम 13, उप-विनियम (1) में, शब्द “उसके नवीकरण का” छोड़ दिये जाएँगे।**(8) विनियम 14 में,**

- क) प्रारंभिक पंक्ति में, शब्द “नवीकरण” छोड़ दिये जाएँगे।
- ख) खंड (v) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्रत्येक कारपोरेट एजेंट सुनिश्चित करेगा कि उसके शाखा कार्यालय से बीमा की कोई अपेक्षा तब तक नहीं की जाएगी, जब तक एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो एकमात्र तौर पर केवल उसी शाखा के लिए दिया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता तथा उसका प्रत्येक शाखा कार्यालय सामूहिक पालिसियों के अंतर्गत बनाये गये सदस्यों की संख्या सहित, उसके व्यवसाय की मात्रा के अनुरूप पर्याप्त संख्या में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करता।”

ग) खंड (vi) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“कारपोरेट एजेंट अपने द्वारा अपेक्षा की गई सभी बीमा पालिसियों के अभिलेखों को अनुरक्षित करेगा जिनमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति / बिक्री केन्द्र विक्रेता / नामोद्दिष्ट व्यक्ति / प्राधिकृत सत्यापक अथवा कोई अन्य प्राधिकृत विक्रेता जिसने पालिसी का विक्रय किया हो, का नाम और कार्यात्मक पहचान सम्मिलित होंगे। ऐसे व्यक्तियों की कार्यात्मक पहचान केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई विशिष्ट पहचान के आधार पर कारपोरेट एजेंट द्वारा दी जाएगी। कारपोरेट एजेंट सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अभिलेख ऐसी पद्धति में अनुरक्षित किये जाएँगे जो उन तक दूर से पहुँच के लिए प्राधिकरण को समर्थ बनाती है।

प्रस्ताव फार्म, बीमा पालिसी और बीमा प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट व्यक्ति / बिक्री केन्द्र विक्रेता / नामोद्दिष्ट व्यक्ति / प्राधिकृत सत्यापक या किसी अन्य प्राधिकृत विक्रेता, जिसने पालिसी का विक्रय किया है, का नाम और कार्यात्मक पहचान को दर्ज किया जाएगा और साथ ही, उस शाखा या कार्यालय की मोबाइल संख्या और ई-मेल पता भी दर्ज किये जाएँगे जिसके द्वारा पालिसी की अपेक्षा (सलिसिटेशन) की गई है।

बशर्ते कि, जहाँ किसी पालिसी की अपेक्षा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति, बिक्री केन्द्र विक्रेता, नामोद्दिष्ट व्यक्ति, प्राधिकृत सत्यापक, अथवा किसी अन्य प्राधिकृत विक्रेता की संबद्धता के बिना, कारपोरेट एजेंट के डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सीधे ही की गई है, वहाँ प्रस्ताव फार्म, बीमा पालिसी दस्तावेज, और बीमा प्रमाणपत्र में कारपोरेट एजेंट के प्रधान अधिकारी का टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता प्रकट किये जाएँगे।

आगे यह भी शर्त है कि इस खंड के अंतर्गत टैगिंग संबंधी आवश्यकताएं 1 जनवरी, 2027 से लागू मानी जाएंगी।

स्पष्टीकरण: ‘बिक्री केन्द्र विक्रेता’ (पाइंट आफ़ सेल्स पर्सन) या ‘नामोद्दिष्ट व्यक्ति’ (डेजिग्रेटेड पर्सन) या ‘अन्य प्राधिकृत विक्रेता’ (अदर आथराइज्ड सेल्स पर्सन) का अर्थ वही होगा जो प्राधिकरण द्वारा संबंधित विनियामक अनुदेशों में उसे दिया गया है।

घ) खंड (ix) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“(x) प्रधान अधिकारी और विनिर्दिष्ट व्यक्ति प्रत्येक तीन वर्ष में एक अनुमोदित संस्था से कम से कम पच्चीस घंटे का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करेंगे।”

ङ) खंड (x) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xi) बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और प्रापण करने के लिए कारपोरेट एजेंट द्वारा नियुक्त विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के पास इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक विधिमान्य नामांकन (एनरोलमेंट) पत्र होगा।”

च) खंड (xi) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xii) कारपोरेट एजेंट का विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो किसी अन्य कारपोरेट एजेंट के पास परिवर्तन करना चाहता है, वर्तमान कारपोरेट एजेंट से एक अनापत्ति पत्र (एनओसी) प्राप्त करेगा। यदि वर्तमान कारपोरेट एजेंट 30 दिन के अंदर अनापत्ति पत्र जारी नहीं करता अथवा स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति प्रकट नहीं करता, तो यह माना जाएगा कि उक्त कारपोरेट एजेंट को उक्त विनिर्दिष्ट व्यक्ति के परिवर्तन के लिए कोई आपत्ति नहीं है।”

छ) खंड (xii) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xiii) कारपोरेट एजेंट विनियामक विवरणियाँ, रिपोर्टें, तथा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना ऐसे फार्म और पद्धति में प्रस्तुत करेगा, जैसा कि समय-समय पर प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इस अपेक्षा का अनुपालन न करनेवाले कोई भी कारपोरेट एजेंट अधिनियम की धारा 102 के उपबंधों के अनुसार उसके विरुद्ध अर्थदंड लगाने के लिए बाध्य होगा।”

ज) खंड (xiii) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xiv) प्राधिकरण पालिसीधारकों के हित में और बीमा व्यवसाय की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए कारपोरेट एजेंट के व्यवसाय पर ऐसी शर्तें लगा सकता है, जैसी कि इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते समय अथवा उसके बाद आवश्यक समझी जाएगी।”

(9) विनियम 17 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“कारपोरेट एजेंट और संघों की नामपद्धति

- (1) आवेदक जिसका प्रधान व्यवसाय एकमात्र तौर पर कारपोरेट एजेंट के रूप में बीमा मध्यस्थता संचालित करना है, उसके पास कारपोरेट एजेंट के नाम में शब्द “बीमा” (इंश्योरेंस) अथवा “आश्वासन” (एश्योरेंस) रखेगा।
- (2) कारपोरेट एजेंटों का कोई संघ / निकाय अपने संगठन, प्रयोजनों और सेवाओं के स्वरूप को निर्दिष्ट करने के लिए शब्द “बीमा” (इंश्योरेंस) अथवा “आश्वासन” (एश्योरेंस) का प्रयोग कर सकता है।”

(10) विनियम 19 में, उप-विनियम (1) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्रत्येक कारपोरेट एजेंट, जहाँ उनके बीमा मध्यस्थता कार्यकलापों से राजस्व, सभी कार्यकलापों से उनके कुल राजस्व के पचास प्रतिशत से अधिक है, उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रचलित रहने के दौरान एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति कवर प्राप्त करेगा और हर समय उसका अनुरक्षण करेगा।”

(11) विनियम 22, उप-विनियम (5) में, शब्द “प्रमाणपत्र संख्या” को “नामांकन संख्या” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(12) विनियम 25 में

क) उप-विनियम (2) के खंड (iii) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“इसके अलावा, कारपोरेट एजेंट प्राधिकरण के पास, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट फार्मेट में नियोजित/नियोजित करने के लिए प्रस्तावित प्राधिकृत सत्यापकों का पूरा विवरण फाइल करेगा। प्राधिकरण, इसके सत्यापन के बाद, प्राधिकृत सत्यापक को इन विनियमों में यथानिर्दिष्ट नामांकन पत्र जारी करेगा।”

ख) उप-विनियम (2) के खंड (iv) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“iv) यदि कोई प्राधिकृत सत्यापक किसी अन्य दूरविपणनकर्ता के पास परिवर्तन करना चाहता है जो स्वयं भी बीमा मध्यस्थता में लगा है, तो वे पहले के दूरविपणनकर्ता से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करेंगे और वह नया नामांकन पत्र जारी करने के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे। यदि वर्तमान दूरविपणनकर्ता इसके लिए आवेदन की तारीख से 30 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी नहीं करता, तो यह माना जाएगा कि उक्त दूरविपणनकर्ता को उनके परिवर्तन के लिए आपत्ति नहीं है;”

ग) उप-विनियम (2) का खंड (v) छोड़ दिया जाएगा।

घ) खंड (vi) से (xii) तक के लिए संख्या बदलकर पुनः संख्या (v) से (xi) तक के रूप में दी जाएगी।

ङ) उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

“(4) प्राधिकृत सत्यापक प्राधिकरण द्वारा नामित परीक्षा निकाय द्वारा संचालित भर्ती-पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एक प्रशिक्षण संस्था से व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करेंगे।”

(13) **विनियम 26, उप-विनियम (2) में**, “एक करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है” शब्दों को छोड़ दिया जाएगा।

(14) **विनियम 31 में, उप-विनियम (2) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**

“ऐसे कारपोरेट एजेंटों के मामले में, जिनका प्रधान व्यवसाय बीमा मध्यस्थता को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय है, उनके वित्तीय विवरणों के लिए, बीमा मध्यस्थता के लिए प्राप्त राजस्वों तथा बीमाकर्ताओं से प्राप्त अन्य आय/प्राप्तियों की अनुसूची होगी। लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की एक प्रति उनपर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले प्रस्तुत की जाएगी।”

(15) **विनियम 31 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित को निविष्ट किया जाएगा:-**

“(4) कारपोरेट एजेंट जिसके पास विदेशी निवेशकों की अधिकांश शेयरधारिता है, अथवा जो एक वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपये से अधिक कमीशन अर्जित करता है, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में निर्णीत फार्म और पद्धति में, अर्जित कमीशन, संबंधित पक्षकार लेनदेनों, लाभों और लाभांश का विवरण वार्षिक आधार पर प्रकट करेगा और इस प्रकार प्रकट करना जारी रखेगा। कारपोरेट एजेंट ये प्रकटीकरण अपनी वेबसाइट पर भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म और पद्धति में प्रकाशित करेगा।”

(16) **अनुसूची I, फार्म ए में,**

क) क्रम सं. 7 की टिप्पणी में, “विनियम 17” शब्दों को “अनुसूची VI” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख) घोषणा (ङ) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ङ) मैं/हम पंजीकरण के निरसन या निलंबन या अभ्यर्षण के समय बहियों पर रन-आफ़ व्यवसाय की सर्विस करने का वचन देता हूँ/देते हैं।”

(17) अनुबंध 2 के खंड क के उप-खंड (ख) में, “विनियम 17” शब्दों को “अनुसूची VI” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(18) **अनुसूची III में, खंड II के उप-खंड 3(i) के उप-खंड (क)। “विक्रय-पूर्व आचरण संहिता”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**

“(क) माँग करने पर संभावित ग्राहक को अपनी पहचान देगा तथा प्राधिकरण अथवा अनुमोदित संस्था द्वारा जारी किया गया अपना पंजीकरण/प्रमाणपत्र/नामांकन पत्र प्रकट करेगा;”

(19) **अनुसूची V में, खंड III को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**

“III. सूचना के बिना कारपोरेट एजेंट के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या निरसन

1. कारपोरेट एजेंट का पंजीकरण सूचना के बिना निरस्त या निलंबित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने कारपोरेट एजेंट को लिखित में निरसन के लिए कारण सूचित किये हों:

- (i) यदि वह धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है अथवा किसी आपराधिक दोष के लिए दोषसिद्ध किया जाता है;
 - (ii) ऐसी चूकें करता है जिनके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है;
2. कारपोरेट एजेंट का पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (6) के खंड (v) के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से निलंबित किया जाएगा जिसके लिए वार्षिक शुल्क देय है, जहाँ कारपोरेट एजेंट अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता। प्राधिकरण कारपोरेट एजेंट को ऐसे निलंबन के लिए कारण लिखित में सूचित करेगा।
- प्राधिकरण उक्त निलंबन को वापस ले सकता है, यदि कारपोरेट एजेंट अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क भुगतान, वार्षिक शुल्क के बीस प्रतिशत के समान अतिरिक्त शुल्क के साथ निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर करता है।
- जहाँ कारपोरेट एजेंट ऐसा वार्षिक शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर नहीं करता, वहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (v) के अनुसार निरस्त किया जाएगा।
- इस विनियम के अंतर्गत कारपोरेट एजेंट के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते समय अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया ऊपर भाग II के खंड (4) और (5) में विनिर्दिष्ट रूप में है।"
- (20) अनुसूची V के बाद, अनुसूची VI निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्

अनुसूची VI

[विनियम 4 और 11 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

शुल्क के भुगतान के लिए अनुदेश तथा शुल्क का भुगतान न करने के परिणाम ---

- (1) प्रत्येक आवेदक विनियम 4 के अधीन पंजीकरण का आवेदन करते समय रु. 10,000/- और लागू करों के साथ के वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। यह शुल्क विनिर्दिष्ट रूप में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के द्वारा देय होगा। किसी भी आवेदन का प्रसंस्करण आवेदन शुल्क के बिना नहीं किया जाएगा।
- (2) विनियम 4 अथवा विनियम 11 के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान करने के लिए सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक ऐसी प्राप्ति से 15 दिन के अंदर रु.10,000/- के वार्षिक शुल्क और लागू करों का भुगतान करेगा।
- (3) अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक शुल्क प्राप्त होने पर, प्राधिकरण जिस श्रेणी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उस श्रेणी के अंतर्गत कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने अथवा कार्य करना जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रदान करेगा।
- (4) विनियम 4 अथवा विनियम 11 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया कारपोरेट एजेंट उसके बाद नीचे (5) में विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के 31वें दिन से पहले वार्षिक शुल्क का भुगतान करेगा।

(5) वार्षिक शुल्क निम्नलिखित में से उच्चतर होगा:

क. दस हजार रुपये; अथवा

ख. जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क देय है, उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बीमाकर्ताओं से कमीशन और अन्य प्राप्तियों के एक प्रतिशत का पच्चीसवाँ भाग, जो अगले हजार तक पूर्णांकित हो।

(6) यदि कारपोरेट एजेंट विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, तो सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त शुल्क और लागू करों के साथ वार्षिक शुल्क का भुगतान स्वीकार कर सकता है-

क. वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत, यदि वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर उक्त शुल्क अदा किया जाता है; अथवा

ख. वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत, यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख के बाद, परंतु उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाता है जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान अपेक्षित है।

जहाँ कारपोरेट एजेंट ने उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले उक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया है जिसमें वह भुगतान के लिए देय है, वहाँ इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

वार्षिक शुल्क और लागू कर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये रूप में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विप्रेषित किये जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण: कमीशन से पारिश्रमिक, या प्रतिफल या कोई प्रोत्साहन, जैसा लागू हो, चाहे किसी भी नाम से कहलाए, सहित कोई भी क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है जो बीमाकर्ता के द्वारा कारपोरेट एजेंट को बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) करने अथवा प्रापण करने अथवा लेनदेन करने के लिए अदा की जाती है। वार्षिक शुल्क का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए, कारपोरेट एजेंट द्वारा प्राप्त कमीशन लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों में बताये गये रूप में होगा।

अन्य प्राप्तियों में शामिल हैं, ब्रैंडिंग, विपणन, विज्ञापन, प्रचार, और संवर्धनात्मक गतिविधियों हेतु दी गई सेवाओं, जिनमें सम्मिलित हैं वेब ब्रैंडिंग, शाखा ब्रैंडिंग, प्रकटीकरण शुल्क, लोगो शुल्क, और इसी प्रकार की ब्रैंड दृश्यता की पहलों एवं व्यवसाय समर्थन और साझेदारी सेवा व्ययों, के लिए कोई भी प्राप्तियाँ।

(7) आवेदक जिन्हें विनियम 4 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया जाता है, जहाँ ऐसे सीओआर की विधिमान्यता किसी वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान प्रारंभ होती है, वहाँ वे चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीओआर प्रदान करने के समय देय वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए भी वार्षिक शुल्क का भुगतान करेंगे।

(8) विनियम 11 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त आवेदक, जहाँ पंजीकरण 31 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के दौरान प्राप्त की गई है, रु.10,000/- के वार्षिक शुल्क और देय सात सौ पचास रुपये का एक अतिरिक्त शुल्क तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीओआर प्रदान करने के समय लागू करों के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए (5) में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करेंगे।

(21) अनुसूची VII में,

क) भाग I के खंड 5 के उप-खंड (ii) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्राधिकृत सत्यापक दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) के कर्मचारी होंगे तथा वे बीमा उत्पादों के विक्रय के प्रयोजन के लिए कारपोरेट एजेंट को आबंटित किये जाएँगे।”

ख) I के खंड 5 के उप-खंड (iv) को छोड़ दिया जाएगा।

(22) अनुबंध 3 को छोड़ दिया जाएगा।

(23) अनुबंध 3 के बाद, 'कारपोरेट एजेंट के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र' को 'विनिर्दिष्ट व्यक्ति या प्राधिकृत सत्यापक का नामांकन पत्र' से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015**

“कारपोरेट एजेंट के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति या प्राधिकृत सत्यापक का नामांकन पत्र”

नामांकन सं.

कारपोरेट एजेंट का नाम:

पता.....

.....

पंजीकरण सं.

पंजीकरण की श्रेणी.....

प्रमाणपत्र धारक का नाम:.....

पता:.....

.....

निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपलक्ष्य में बीमा व्यवसाय की सेवा, प्रापण और अपेक्षा (सलिसिटेशन) करने के लिए उपर्युक्त कारपोरेट एजेंट के विनिर्दिष्ट व्यक्ति या प्राधिकृत सत्यापक के रूप में कार्य करने के लिए इसके द्वारा नामांकित किया जाता है।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता”

(24) फार्म बी के लिए, निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015**

फार्म बी

[विनियम 9 और 11 देखें]

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण सं.: सीए

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा को बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत **एक कारपोरेट एजेंट (श्रेणी)** के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा लगाई जानेवाली शर्तों और आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन होगा।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र दिन/माह/वर्ष से विधिमान्य होगा तथा वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक प्राधिकरण द्वारा निलंबित, अथवा निरस्त नहीं किया जाता।

(क्यूआर कूट)

आदेशानुसार

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

स्थान:

दिनांक:

(25) फार्म सी छोड़ दिया जाएगा।

(26) फार्म बी, पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का फार्म छोड़ दिया जाएगा।

(27) अनुबंध 5 छोड़ दिया जाएगा।

(28) अनुसूची एए के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015**

**³[अनुसूची-एए]
(विनियम 8क देखें)**

बीमा मध्यवर्ती से वचन-पत्र जिसके पास विदेशी प्रवर्तकों / निवेशकों की अधिकांश शेयरधारिता है

मैं,..... (व्यक्ति का नाम), (बीमा मध्यवर्ती का नाम) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) / प्रधान अधिकारी (पीओ) / प्रबंध निदेशक निम्नलिखित का वचन देता हूँ/देती हूँ:

1. (बीमा मध्यवर्ती का नाम) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन एक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित है;
2. (व्यक्ति का नाम), निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष अथवा (व्यक्ति का नाम) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रधान अधिकारी / प्रबंध निदेशक (जो लागू न हो, उसे काट दें) एक निवासी भारतीय नागरिक है;
3. नवीनतम प्रौद्योगिकीगत, प्रबंधकीय और अन्य कौशल लाऊँगा/लाऊँगी;

पीओ/ सीईओ/ प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

अध्याय II

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2018 का संशोधन

(1) इन विनियमों में सर्वत्र,

- क) शब्द “मध्यवर्ती” के लिए, जहाँ भी वह विद्यमान है, शब्द “बीमा मध्यवर्ती” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।
- ख) “विदेशी निवेशकर्ता” शब्दों के लिए, जहाँ भी वे विद्यमान हैं, शब्द “विदेशी प्रवर्तक/निवेशक” प्रतिस्थापित किये जाएँगे, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(2) अध्याय – II का शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“नये पंजीकरण प्रमाणपत्र का पंजीकरण और निर्गम”

(3) विनियम 9, को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“1) शुल्क का भुगतान और शुल्क का भुगतान न करने का परिणाम अनुसूची I – फार्म डी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।”

(4) विनियम 10, उप-विनियम (5) में, शब्द “नवीकरण” को “विनियम 14 के अधीन वर्तमान बीमा दलालों को नये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए नवीकरण/आवेदन” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा शब्द, “और ऐसा आदेश प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा समर्थित है”, छोड़ दिये जाएँगे।

(5) विनियम 11, उप-विनियम 1 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“एक बार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र अनुसूची I – फार्म डी में विनिर्दिष्ट रूप में वापस न करने योग्य वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक वह प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता अथवा बीमा दलाल के द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता।”

(6) विनियम 13 में, प्रारंभिक पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“इन विनियमों के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा।”

(7) विनियम 13, उप-विनियम 6 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“बीमा दलाल अपने द्वारा अपेक्षा (सलिसिटेशन) की गई सभी बीमा पालिसियों का अनुरक्षण करेगा, जिनमें दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति/बिक्री केन्द्र विक्रेता/नामोद्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकृत सत्यापक/कोई अन्य प्राधिकृत विक्रेता, जिसने पालिसी का विक्रय किया हो, का नाम और कार्यात्मक पहचान भी शामिल की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की कार्यात्मक पहचान केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई एक विशिष्ट पहचान के आधार पर बीमा दलाल के द्वारा दी जाएगी। बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के अभिलेख एक ऐसी पद्धति में अनुरक्षित किये जाएँगे जो दूरस्थ तौर पर उन तक पहुँचने में प्राधिकरण को समर्थ बनायेगी।

प्रस्ताव फार्म, बीमा पालिसी और बीमा प्रमाणपत्र में दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति/ बिक्री केन्द्र विक्रेता/ नामोद्दिष्ट व्यक्ति/ प्राधिकृत सत्यापक या किसी अन्य प्राधिकृत विक्रेता, जिसने पालिसी का विक्रय किया है, के नाम और कार्यात्मक पहचान को दर्ज किया जाएगा और साथ ही, उस शाखा या कार्यालय की मोबाइल संख्या और ई-मेल पता भी दर्ज किये जाएँगे जिसके द्वारा पालिसी की अपेक्षा (सलिसिटेशन) की गई हो।

बशर्ते कि जहाँ पालिसी की अपेक्षा (सलिसिटेशन) किसी दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्ति, बिक्री केन्द्र विक्रेता, नामोद्दिष्ट व्यक्ति, प्राधिकृत सत्यापक, या किसी अन्य प्राधिकृत विक्रेता के बिना बीमा दलाल के डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सीधे की गई हो, वहाँ प्रस्ताव फार्म, बीमा पालिसी दस्तावेज, और बीमा प्रमाणपत्र बीमा दलाल के प्रधान अधिकारी की टेलीफोन संख्या और ई-मेल पते को प्रकट करेंगे।

आगे यह भी शर्त है कि इस खंड के अंतर्गत टैगिंग संबंधी आवश्यकताएं 1 जनवरी, 2027 से लागू मानी जाएंगी।

स्पष्टीकरण: “बिक्री केन्द्र विक्रेता” (पाइंट आफ़ सेल्स पर्सन) या “नामोद्दिष्ट व्यक्ति” (डेजिग्रेटेड पर्सन) या अन्य प्राधिकृत विक्रेता का अर्थ वही होगा जो प्राधिकरण द्वारा उसे संबंधित विनियामक अनुदेशों में दिया गया है।

(8) विनियम 13 में, उप-विनियम 10 निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्राधिकरण, पालिसीधारकों और बीमा व्यवसाय की सुव्यवस्थित वृद्धि के हित में इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रदान करते समय या उसके बाद, बीमा दलाल के व्यवसाय के संबंध में ऐसी शर्तें लगा सकता है जो आवश्यक समझी जाएंगी।”

(9) भाग-ख का शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वर्तमान बीमा दलालों को नये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए प्रक्रिया”

(10) विनियम 14 में:

क) शीर्षक, “पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण” को “वर्तमान बीमा दलालों को नये प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए प्रक्रिया” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ख) उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“इन संशोधन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले 3 वर्ष की विधिमान्यता अवधि के साथ पंजीकरण प्रदान किया गया बीमा दलाल, 31 जनवरी, 2027 से पहले, किसी भी समय इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए अनुसूची-1-फार्म बी में प्राधिकरण को अनुसूची 1-फार्म डी में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि इस प्रकार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जब इस विनियम के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण, और उसके पहले जारी किया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र अमान्य माना जाएगा।

बशर्ते कि जहाँ बीमा दलाल 31 जनवरी, 2027 से पहले आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, वहाँ वह 31 मार्च, 2027 से पहले ऐसे विलंब के लिए कारणों तथा लागू वार्षिक शुल्क और सात सौ पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क और लागू करों के भुगतान के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, तथा प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि अन्यथा अनुचित कठिनाई उत्पन्न होगी, ऐसे आवेदन पर विचार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ आवेदन बीमा दलाल द्वारा 31 मार्च 2027 तक प्रस्तुत नहीं किया जाता, वहाँ वह पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल के रूप में कार्य करना बंद करेगा तथा उसके बाद बीमा दलाल विनियम 5 के अनुसार पंजीकरण के लिए नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

ग) उप-विनियम (3) में, शब्द “का नवीकरण” को शब्द “नया” से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा शब्दों, “नवीकरण प्रशिक्षण” को शब्द “प्रशिक्षण” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

घ) उप-विनियम (4) में, शब्द “नवीकरण के लिए” छोड़ दिये जाएँगे।

- ड) उप-विनियम (8) में, शब्द “का नवीकरण” को शब्द “नये का निर्गम” के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, शब्द “नवीकरण करना” को शब्द “निर्गम” के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा “तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुसूची I – फार्म एल” शब्दों को “अनुसूची I – फार्म जे” शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- च) उप-विनियम (9) में, शब्द “नवीकरण आवेदन” को शब्द “वर्तमान बीमा दलालों को नये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए आवेदन” से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा “अनुसूची I – फार्म एम” शब्दों को “अनुसूची I – फार्म सी” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (11) **विनियम 15 के शीर्षक** को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“प्रक्रिया जहाँ वर्तमान बीमा दलालों को नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया हो”
- (12) **विनियम 15, उप-विनियम (1) में**, शब्द “नवीकरण” को “वर्तमान बीमा दलालों को नये पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (13) **विनियम 16 के शीर्षक** को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से अस्वीकृति का प्रभाव”
- (14) **विनियम 16, उप-विनियम (1) में**, शब्द “नवीकरण” को “वर्तमान बीमा दलालों को नये पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (15) **विनियम 17, उप-विनियम (2) में**, “अनुसूची I – फार्म क्यू उसपर एक पृष्ठांकन के साथ कि यह एक अनुलिपि (ड्रूप्लिकेट) है” शब्दों को “अनुसूची I – फार्म जे” शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (16) **विनियम 18, उप-विनियम (1) को** प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“बीमा दलाल अपनी गतिविधि की व्यवस्था को प्रतिबिंबित करने तथा जनता को प्राधिकरण के पास पंजीकृत बीमा दलालों को अन्य अपंजीकृत बीमा संबंधी संस्थाओं से भिन्न दर्शाने के लिए, बीमा दलाल के नाम में शब्द “बीमा दलाल”/ बीमा दलालों/ बीमा दलाली (ब्रोकिंग)/ बीमा (एश्योरेंस) दलाल/ बीमा (एश्योरेंस) दलालों/ बीमा (एश्योरेंस) दलाली रखेंगे।”
- (17) **विनियम 18, उप-विनियम (3) में**, शब्द “पंजीकरण की विधिमान्यता अवधि” छोड़ दिये जाएँगे।
- (18) **विनियम 18 में, उप-विनियम (5) निविष्ट** किया जाएगा, अर्थात् :-
“बीमा दलालों का कोई भी संघ/निकाय अपने संगठन के स्वरूप, प्रयोजनों और सेवाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए शब्द ‘बीमा’ (इश्योरेंस) या ‘बीमा’ (एश्योरेंस) रख सकते हैं।”
- (19) **विनियम 24 में**, “प्राधिकरण द्वारा उनको जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र की समूची अवधि की विधिमान्यता के दौरान” शब्दों को “पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रचलन में रहते समय” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (20) **विनियम 34 में, उप-विनियम 9** छोड़ दिया जाएगा।
- (21) **विनियम 34 में, उप-विनियम (10) निविष्ट** किया जाएगा, अर्थात् :-
“बीमा दलाल जो विदेशी निवेशकों की अधिकांश शेयरधारिता रखता है अथवा एक वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपये से अधिक कमीशन अर्जित करता है, प्राधिकरण को अर्जित कमीशन, संबंधित पक्षकार लेनदेनों, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में, घोषित और प्रदत्त लाभों और लाभांश का विवरण वार्षिक आधार पर प्रकट करेगा

और इस प्रकार प्रकट करना जारी रखेगा। बीमा दलाल ये प्रकटीकरण अपनी वेबसाइट पर भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और पद्धति में प्रकाशित करेगा।”

(22) **विनियम 39 में, उप-विनियम 1(घ)** छोड़ दिया जाएगा।

(23) **विनियम 39, उप-विनियम (2) में,** शब्द “प्राधिकरण की व्यवसाय विश्लेषणात्मक परियोजना के अंतर्गत” को “प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(24) **विनियम 49, उप-विनियम (1), खंड (ट) में,** शब्द “शुल्क” छोड़ दिया जाएगा।

(25) **विनियम 50 में, उप-विनियम (3)** निम्नानुसार निविष्ट किया जाएगा:-

“बीमा दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (6) के खंड (v) के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से जिसके लिए वार्षिक शुल्क देय है, निलंबित किया जाएगा यदि वह वार्षिक शुल्क का भुगतान अनुसूची I – फार्म डी में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर नहीं करता। प्राधिकरण बीमा दलाल को लिखित में ऐसे निलंबन के कारण सूचित करेगा।

प्राधिकरण उक्त निलंबन को वापस ले सकता है, यदि बीमा दलाल अनुसूची-I फार्म डी में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान, वार्षिक शुल्क के बीस प्रतिशत के समान एक अतिरिक्त शुल्क के साथ, निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर करता है।

जहाँ बीमा दलाल ऐसे वार्षिक शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर नहीं करता, वहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (6) के खंड (v) अधीन निरस्त किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया जाता है, तो इन विनियमों के अंतर्गत एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि की अपेक्षा लागू नहीं होगी।”

(26) **अनुसूची I, फार्म बी में:**

क) शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: अनुसूची I – फार्म बी (विनियम 5(1) और 14(1) देखें)

ख) बिंदु 2.7 में, “भारतीय प्रवर्तक/भारतीय निवेशक/विदेशी निवेशक का प्रतिनिधित्व करते हुए” शब्दों को “भारतीय प्रवर्तक/भारतीय निवेशक/विदेशी प्रवर्तक/विदेशी निवेशक का प्रतिनिधित्व करते हुए” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ग) “टिप्पणी” के अंतर्गत, शब्द “आवेदित श्रेणी के आधार पर” छोड़ दिये जाएँगे, “माँग ड्राफ्ट सं.” शब्दों को “लेनदेन सं.” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, तथा शब्द “भुगतान की अन्य पद्धतियाँ” छोड़ दिये जाएँगे।

घ) “पंजीकरण का नवीकरण न करवाना” शब्दों को “पंजीकरण का निलंबन या अभ्यर्पण” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(27) **अनुसूची I, फार्म सी में,**

(क) शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“अनुसूची I – फार्म सी (विनियम 5(3) और 14(9) देखें)”

(ख) क्रम सं. क.ख को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“इन विनियमों के विनियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के द्वारा आवश्यक शुल्क का विप्रेषण”

(ग) क्रम सं. क में, खंड (ण), (त) को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“अनुसूची I – फार्म ण के अनुसार वचन-पत्र।”

(28) अनुसूची I – फार्म डी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्।

अनुसूची I – फार्म डी

(विनियम 5(4), 9 और 14 देखें)

शुल्क के भुगतान के लिए अनुदेश

1. प्रत्येक आवेदक विनियम 5 के अंतर्गत पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत करते समय नीचे निर्धारित रूप में वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क और लागू करों का भुगतान करेगा:

बीमा दलाल की श्रेणी	देय आवेदन प्रसंस्करण शुल्क की राशि
प्रत्यक्ष दलाल	रु.25,000
पुनर्बीमा दलाल	रु.50,000
सम्मिश्र दलाल	रु.75,000

2. प्राधिकरण आवश्यक शुल्क के बिना प्राप्त किसी आवेदन का प्रसंस्करण नहीं करेगा।
3. विनियम 5 अथवा विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान करने के लिए सूचना प्राप्त करने के बाद आवेदक रु. 10,000/- के वार्षिक शुल्क और लागू करों का भुगतान चालू वर्ष के लिए उक्त सूचना की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर करेगा।
4. इसके अलावा, वार्षिक शुल्क प्राप्त होने पर, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण उस श्रेणी के अंतर्गत जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, एक बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए अथवा कार्य करना जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रदान करेगा।
5. विनियम 5 अथवा विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया बीमा दलाल उसके बाद प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक शुल्क का भुगतान नीचे (6) में विनिर्दिष्ट रूप में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के 31वें दिन से पहले करेगा।
6. वार्षिक शुल्क निम्नलिखित में से उच्चतर होगा:
 - क. दस हजार रुपये या
 - ख. जिस वर्ष में वार्षिक शुल्क देय है उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बीमाकर्ताओं/ग्राहकों से कमीशन और अन्य प्राप्तियों के एक प्रतिशत का पच्चीसवाँ भाग, जो अगले हजार तक पूर्णांकित हो।
7. यदि बीमा दलाल विनिर्दिष्ट तारीख से पहले वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, तो सक्षम प्राधिकारी वार्षिक शुल्क का भुगतान एक अतिरिक्त शुल्क और लागू करों सहित भुगतान के साथ स्वीकार कर सकता है –
 - क. वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर किया जाता है; अथवा

ख. वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख के 30 दिन बाद परंतु उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाता है जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है।

जहाँ बीमा दलाल ने उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले शुल्क का भुगतान नहीं किया है जिसमें उक्त भुगतान देय है, वहाँ इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

आवेदन प्रसंस्करण शुल्क और वार्षिक शुल्क का विप्रेषण प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: कमीशन से अभिप्रेत है, बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) या प्रापण या लेनदेन करने के लिए, जैसा लागू हो, पारिश्रमिक, या प्रतिफल या किसी प्रोत्साहन सहित, कोई भी क्षतिपूर्ति जो बीमाकर्ता द्वारा बीमा दलाल को अदा की जाती है, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाये। वार्षिक शुल्क का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए, बीमा दलाल के द्वारा प्राप्त किया गया कमीशन उसके लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों में बताये गये अनुसार होगा।

अन्य प्राप्तियों में शामिल है, वेब ब्रैंडिंग, शाखा ब्रैंडिंग, प्रदर्शन शुल्क, लोगो शुल्क, और इसी प्रकार की ब्रैंड दृश्यता पहलों एवं व्यवसाय में सहायता और साझा की गई सेवा लागतों और दावा परामर्श, जोखिम प्रबंध और अन्य समान सेवाओं के लिए शुल्क सहित, ब्रैंडिंग, विपणन, विज्ञापन, प्रचार और संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु दी गई सेवाओं के लिए कोई भी प्राप्तियाँ।

8. विनियम 5 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त आवेदक, जहाँ ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता किसी वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान प्रारंभ होती है, चालू वित्तीय वर्ष के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय देय वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करेंगे।
9. विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदत्त आवेदक, जहाँ पंजीकरण 31 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के दौरान प्राप्त किया जाता है, रु. 10,000/- के वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त, देय सात सौ पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क और लागू करों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीओआर प्रदान करते समय करेंगे तथा तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए (5) में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करेंगे।

(29) अनुसूची I – फार्म जे को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची I – फार्म जे

विनियम 10 (और 14) देखें

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण सं. :

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत बीमा दलाल (बीमा दलाल की श्रेणी) के रूप में कार्य करने के लिए (बीमा दलाल का नाम) को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा लगाई जानेवाली शर्तों तथा आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के उपबंधों के अधीन होगा।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र दिन/माह/वर्ष से विधिमान्य होगा और वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक यह प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

[क्यूआर कूट]

आदेशानुसार

स्थान:

दिनांक:

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

- (30) अनुसूची I – फार्म के छोड़ दिया जाएगा।
- (31) अनुसूची I – फार्म एल छोड़ दिया जाएगा।
- (32) अनुसूची I – फार्म एम छोड़ दिया जाएगा।
- (33) अनुसूची I – फार्म एन में, “नवीकरण आवेदन” शब्दों को “आवेदन का प्रस्तुतीकरण” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (34) अनुसूची I – फार्म ओ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची I – फार्म ओ
(विनियम 14(9) और विनियम 5(3) देखें)

वचनपत्र का फार्मेट

संदर्भ सं.
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
हैदराबाद

दिनांक

महोदय,

वचनपत्र

हम इसके द्वारा निम्नलिखित वचनपत्र प्रस्तुत करते हैं और निम्नानुसार पुष्टि करते हैं कि:

1. आज की स्थिति के अनुसार प्रवर्तकों / प्रबंधन / आवेदक कंपनी पर किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई मध्यक्षेप नहीं है (यदि ऐसा कोई मध्यक्षेप है, तो उक्त मध्यक्षेप का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा)।
2. कंपनी के पास आज की स्थिति के अनुसार ____ (संख्या में) व्यक्ति नियोजित हैं तथा आवेदन के प्रसंस्करण के दौरान नियोजन में न्यूनतम 2 दलाल अर्हताप्राप्त व्यक्तियों के नियोजन को सुनिश्चित करेगी, जिनके पास विनियम 8(2)(ग) के अंतर्गत अनुसूची I – फार्म ई में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएँ हैं और बीमा दलाल का व्यवसाय संचालित करने के लिए आवश्यक अनुभव है।
3. आवेदक कंपनी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबद्ध किसी भी निदेशक / भागीदार / प्रधान अधिकारी / कर्मचारी / व्यक्ति को अतीत में प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान करने से अस्वीकृत नहीं किया गया है।

4. प्रधान अधिकारी और दलाल अर्हताप्राप्त व्यक्तियों ने आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की अनुसूची I – फार्म एच और फार्म आई, जो भी लागू हो, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में आचरण संहिता का उल्लंघन नहीं किया है / नहीं करेंगे।
5. आवेदक ने प्राधिकरण के पास फाइल किये गये संस्था के बहिर्नियम (एमओए) के मुख्य उद्देश्यों तक सीमित रहते हुए विनियम 8(2)(जे) का अनुपालन किया है/ अनुपालन करेगा।
6. प्रधान अधिकारी को एकमात्र तौर पर आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 4 के अंतर्गत बीमा दलाल के कार्य संचालित करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा वह किसी भी अन्य बीमा संबंधी या किसी अन्य संस्था में न तो कोई पूर्णकालिक निदेशकत्व / रोजगार / नियुक्ति धारित कर रहा है और न ही पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर किसी बीमा संबंधी या किसी अन्य संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
7. किसी अन्य बीमा संबंधी संस्था में कोई निदेशकत्व / नियोजन धारित करनेवाले अथवा ऐसी संस्था का प्रतिनिधित्व करनेवाले, कंपनी के निदेशकों / भागीदारों और कर्मचारियों के संबंध में हितों का कोई संघर्ष नहीं है।
8. बीमा दलाल के कार्यालय परिसर और उसकी शाखाओं का उपयोग एकमात्र तौर पर केवल बीमा दलाली व्यवसाय के लिए ही किया जाता है और किया जाएगा तथा कोई भी अन्य कार्यकलाप नहीं किया जाएगा।
9. हमने हर समय, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीबी के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करने में ग्राहकों की सहायता की है / करेंगे तथा हमने ग्राहकों की ओर से प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है / नहीं करेंगे।
10. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 का अनुपालन करते हुए हमने देय कमीशन या पारिश्रमिक या प्रतिफल अथवा दशयि गये प्रीमियम का पूर्णतः या अंशतः कोई रिबेट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया है / नहीं देंगे।
11. हम पुष्टि करते हैं कि न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा का उपयोग शेयर और प्रतिभूतियाँ खरीदने एवं अंतर कारपोरेट जमाराशियों को रखने और ऋण आदि देने के द्वारा वह मंद (डाइल्यूट) नहीं की गई है / मंद नहीं की जाएगी।
12. हम पुष्टि करते हैं कि पंजीकरण अवधि के दौरान आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट कार्यों का अनुपालन किया गया है / किया जाएगा।
13. हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने पंजीकरण अवधि के दौरान प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित किये गये रूप में प्रदत्त पूँजी और निवल मालियत (नेट वर्थ) अपेक्षाओं का अनुपालन किया है / अनुपालन करेगी।
14. हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में पंजीकरण अवधि के दौरान एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पालिसी अनुरक्षित की है / अनुरक्षित करेगी।
15. हम पुष्टि करते हैं कि कंपनी ने पंजीकरण अवधि के दौरान प्राधिकरण के द्वारा अपेक्षित रूप में अपने पुनर्बीमा संबंधी कार्यकलापों के लिए बीमा राशियों के पृथक्करण का अनुपालन किया है / अनुपालन करेगी।
16. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारक/निदेशक/पीओ/केएमपीएस/बीक्यूपी/कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हैं।
17. हम पुष्टि करते हैं कि एक एलएलपी अथवा समकक्ष के मामले में पूँजी या अंशदानों के रूप में धारित बीमा दलाल के शेयर कोई ऋण या कोई अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में या तरीके से गिरवी नहीं रखे गये हैं / गिरवी नहीं रखे जाएँगे तथा वे हर समय भाररहित रहेंगे।
18. हम पुष्टि करते हैं कि प्रवर्तकों/शेयरधारकों/भागीदारों के द्वारा आवेदक में निवेश उनकी स्वयं की निधियों से रहे हैं / रहेंगे तथा वे किन्हीं अन्य स्रोतों से नहीं हैं।

19. हम पुष्टि करते हैं कि समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2026 का अनुपालन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक साइबर सुरक्षा संपरीक्षण (आडिट) संचालित किया गया है। आईआरडीएआई साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2026 में यथाविनिर्दिष्ट रूप से, संपरीक्षण (आडिट) रिपोर्ट सभी बीमाकर्ताओं के साथ विधिवत साझा साझा किया गया है।
20. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा दलाल ने ग्राहकों के साथ सभी आनलाइन इंटरफेसों के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा जारी किये गये अस्पष्ट प्रतिमानों का निवारण और विनियमन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है / अनुपालन करेगा। हम आगे यह भी पुष्टि करते हैं कि उक्त दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हमारे डिजिटल इंटरफेसों और ग्राहक संचार माध्यमों का एक मूल्यांकन निर्धारण संचालित किया गया है, तथा उक्त अनुपालन की रिपोर्ट की विधिवत् समीक्षा की गई है और जहाँ भी लागू हो, वहाँ बीमाकर्ताओं सहित, संबंधित हितधारकों के साथ उसे साझा किया गया है।
21. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा दलाल ने समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियमित संस्थाओं के द्वारा सूचना का अनुरक्षण तथा प्राधिकरण द्वारा सूचना की साझेदारी) विनियम, 2025 का अनुपालन किया है / अनुपालन करेगा। हम आगे यह भी पुष्टि करते हैं कि समस्त विनिर्दिष्ट सूचना का विधिवत् अनुरक्षण उक्त विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट तरीके से और फार्मेट में किया गया है तथा विनियामक प्रयोजनों के लिए और अपेक्षानुसार प्राधिकरण के साथ साझा करने के लिए ऐसी सूचना के सहीपन, सत्यनिष्ठा, और उसकी समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और नियंत्रण लागू किये गये हैं।
22. बीमा दलाल ने सही और संपूर्ण विनियामक विवरणियाँ, रिपोर्टें, और प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्म और पद्धति में प्रस्तुत किया है / प्रस्तुत करेगा तथा इस अपेक्षा का अनुपालन करने में किसी भी विफलता के लिए अधिनियम की धारा 102 के उपबंधों के अनुसार अर्थदंड लगाया जा सकता है।

हम पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त विवरण हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

हम यह भी वचन देते हैं कि हम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में लागू सभी विनियमों / नियमों / नोटिसों / परिपत्रों का अनुपालन करेंगे।

प्रधान अधिकारी	(निदेशक, पीओ को छोड़कर अन्य)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
दिनांक	दिनांक

टिप्पणी: जो घोषणा लागू न हो उसे काट दें तथा संबंधित सूचना अलग से संलग्न करें।

(35) **अनुसूची I – फार्म पी में**, “माँग ड्राफ्ट सं.” शब्दों को “लेनदेन सं.” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा “भुगतान की अन्य पद्धतियाँ” शब्दों को छोड़ दिया जाएगा।

(36) **अनुसूची I – फार्म क्यू** को छोड़ दिया जाएगा।

(37) **अनुसूची II – फार्म आर क्रम सं. 1(क)** में, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“भारतीय प्रवर्तक, विदेशी प्रवर्तक, भारतीय निवेशक और विदेशी निवेशक का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, पूँजी विन्यास, शेषों का अंतरण और समामेलन) विनियम, 2024 के विनियम 3 में दिया गया है”

(38) **अनुसूची II – फार्म यूए**, अनुबंध I-क, अनुबंध I-ख, अनुबंध I-ग, अनुबंध I-ड और अनुबंध I-च में, शब्द, “पंजीकरण की विधिमान्यता” छोड़ दिये जाएँगे।

- (39) अनुबंध I-घ छोड़ दिया जाएगा।
- (40) अनुबंध II – फार्म वी में, शब्द “को पंजीकरण की विधिमान्यता” छोड़ दिये जाएँगे।
- (41) अनुसूची II – फार्म डब्ल्यू छोड़ दिया जाएगा।
- (42) अनुसूची – एए को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

[अनुसूची - एए]

(विनियम 21क देखें)

विदेशी निवेशकों की अधिकांश शेयरधारिता से युक्त बीमा मध्यवर्ती से वचन-पत्र

मैं _____ (व्यक्ति का नाम), _____ (बीमा मध्यवर्ती का नाम) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)/ प्रधान अधिकारी (पीओ) / प्रबंध निदेशक निम्नलिखित का वचन देता हूँ / देती हूँ:

1. (बीमा मध्यवर्ती का नाम) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन एक सीमित (लिमिटेड) कंपनी के रूप में निगमित है;
2. बीमा मध्यवर्ती के(व्यक्ति का नाम), निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष अथवा (व्यक्ति का नाम) बीमा मध्यवर्ती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रधान अधिकारी / प्रबंध निदेशक (जो लागू न हो उसे काट दें) एक निवासी भारतीय नागरिक है;
3. इस कंपनी में नवीनतम प्रौद्योगिकीगत, प्रबंधकीय और अन्य कौशल लाऊँगा;

[पीओ/ सीईओ/ प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर]

अध्याय III

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 में संशोधन**

(1) इन विनियमों में सर्वत्र,

क) शब्द "मध्यवर्ती" जहाँ भी विद्यमान है, "बीमा मध्यवर्ती" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) विनियम (4) में, उप-विनियम 4.1(ख) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"अनुसूची XI में विनिर्दिष्ट रूप में वापस न करने योग्य शुल्क विप्रेषित करेगा"

(3) विनियम (5), उप-विनियम (5.2), खंड (vi) में, शब्द "आईएमएफ" के बाद, शब्द "अथवा बीमा विपणन" निविष्ट किये जाएँगे।**(4) विनियम (6) में, उप-विनियम (6.1)(क) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**

"आवेदक के पास निम्नलिखित की निवल मालियत (नेट वर्थ) होगी:

पाँच लाख रुपये से अन्यून, यदि आवेदक केवल एक ही जिले का विकल्प दे रहा है, जो एक आकांक्षी जिला है

बशर्ते कि आकांक्षी जिले की स्थिति में कोई भी परिवर्तन घटित होने पर संस्था सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगी और बढ़ी हुई निवल मालियत की आवश्यकताओं के संबंध में ऐसे परिवर्तन से छह महीने के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करेगी।"

(5) विनियम (9), उप-विनियम (9.1) में, "प्राधिकरण के द्वारा उसको प्रदान किये गये पंजीकरण की समूची अवधि की विधिमान्यता के दौरान" शब्दों को "प्राधिकरण के द्वारा उनको जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र के प्रचलन में रहते समय" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।**(6) विनियम (11) में, उप-विनियम (11.8) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम निविष्ट किये जाएँगे:-**

11.9. बीमा विपणन फर्म सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये प्रधान अधिकारी और सभी बीमा विक्रेता प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त परीक्षा निकाय द्वारा संचालित कम से कम पच्चीस घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

11.10. प्राधिकरण पालिसीधारकों के हित में तथा बीमा व्यवसाय की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते समय अथवा उसके बाद ऐसी शर्तें, लागू कर सकता है जो बीमा विपणन फर्म के व्यवसाय के संबंध में आवश्यक समझी जाएँगी।"

(7) विनियम (12) में,

(क) उप-विनियम (12.1) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**पंजीकरण की विधिमान्यता** - अनुसूची XI में यथाविनिर्दिष्ट वापस न करने योग्य वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन, एक बार जारी किया गया पंजीकरण तब तक प्रचलन में होगा, जब तक वह प्राधिकरण के द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता अथवा बीमा विपणन फर्म के द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता।"

(ख) उप-विनियम (12.4) में, “प्राधिकरण द्वारा नवीकृत किया जाता है” शब्दों को “विनियम 14 के अंतर्गत नया पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करता है” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(8) विनियम (13), उप-विनियम (13.1) में, “विनियम 4” शब्दों और अंकों के बाद शब्द “अथवा विनियम 14” निविष्ट किये जाएँगे।

(9) अध्याय III शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वर्तमान बीमा विपणन फर्मों को नये प्रमाणपत्र का निर्गम”

(10) विनियम (14) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वर्तमान बीमा विपणन फर्मों को नये प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए प्रक्रिया:-

(1) तीन वर्ष की विधिमान्यता अवधि के साथ इन संशोधन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले पंजीकरण प्रदत्त बीमा विपणन फर्म, 31 जनवरी, 2027 से पहले किसी भी समय इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए अनुसूची XI में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क के भुगतान के साथ फार्म ए में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि इस प्रकार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से प्रभावी होगा तथा उसके पहले जारी किया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र अमान्य समझा जाएगा।

बशर्ते कि जहाँ बीमा विपणन फर्म 31 जनवरी, 2027 से पहले आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, वहाँ वह 31 मार्च, 2027 तक, ऐसे विलंब के लिए कारणों तथा लागू वार्षिक शुल्क और सात सौ पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा प्राधिकरण यदि संतुष्ट होता है कि अन्यथा कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसे आवेदन पर विचार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ आवेदन बीमा विपणन फर्म द्वारा 31 मार्च 2027 तक प्रस्तुत नहीं किया जाता, वहाँ वह पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को और उस तारीख से बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करना बंद करेगा तथा उसके बाद बीमा विपणन फर्म विनियम 4 के अनुसार पंजीकरण के लिए नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन का प्रसंस्करण विनियम 5 और विनियम 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति में किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, फार्म बी में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।”

(11) विनियम (15) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“संघों के लिए नामपद्धति: बीमा विपणन फर्मों का कोई भी संघ/निकाय अपने संगठन, प्रयोजनों और सेवाओं के स्वरूप को निर्दिष्ट करने के लिए शब्द “बीमा” (इंश्योरेंस) अथवा “बीमा/आश्वासन” (एश्योरेंस) का उपयोग कर सकता है।”

(12) विनियम (16) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“बीमा विपणन फर्म को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से अस्वीकृति का प्रभाव:

कोई भी आवेदक, विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए जिसका आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया हो, विनियम 13 के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने की तारीख को और उस तारीख से बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा तथा बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) करना और बीमा कार्यकलाप करना समाप्त करेगा। तथापि, बीमा विपणन फर्म इन विनियमों के विनियम 12.3 में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक कदम उठायेगा।”

(13) **विनियम 17, उप-विनियम 17.2 में,** शब्द “फार्म सी” को शब्द “फार्म बी” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(14) **विनियम (26) में,** खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किये जाएंगे:-

“(vii) बीमा विपणन फर्म अपने माध्यम से अपेक्षा (सलिसिटेशन) की गई सभी बीमा पालिसियों के अभिलेख अनुरक्षित करेगा जिनमें बीमा विक्रेता/बिक्री केन्द्र विक्रेता/नामोद्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकृत सत्यापक/अथवा किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और कार्यात्मक पहचान शामिल होगी, जिसने पालिसी की बिक्री की हो। बीमा विपणन फर्म द्वारा ऐसे व्यक्तियों की कार्यात्मक पहचान केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई एक विशिष्ट पहचान के आधार पर दी जाएगी। बीमा विपणन फर्म यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अभिलेखों का अनुरक्षण ऐसी पद्धति में किया जाएगा जो दूरस्थ स्थिति से उन तक पहुँचने में प्राधिकरण को समर्थ बनायेगी।

प्रस्ताव फार्म, बीमा पालिसी और बीमा प्रमाणपत्र बीमा विक्रेता/बिक्री केन्द्र विक्रेता/नामोद्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकृत सत्यापक अथवा किसी अन्य प्राधिकृत विक्रेता, जिसने पालिसी का विक्रय किया हो, उसके नाम और कार्यात्मक पहचान को उस शाखा या कार्यालय की मोबाइल संख्या और ई-मेल पते का साथ, जिसके माध्यम से पालिसी की अपेक्षा (सलिसिटेशन) की गई हो, दर्ज करेंगे।

आगे यह भी शर्त है कि इस खंड के अंतर्गत टैगिंग संबंधी आवश्यकताएं 1 जनवरी, 2027 से लागू मानी जाएंगी।

स्पष्टीकरण: ‘बिक्री केन्द्र विक्रेता’, या ‘नामोद्दिष्ट व्यक्ति’ या ‘अन्य प्राधिकृत विक्रेता’ का अर्थ वही होगा जो संबंधित विनियामक अनुदेशों में प्राधिकरण द्वारा उसके लिए निर्धारित किया गया हो।”

(viii) बीमा विपणन फर्म जो विदेशी निवेशकों की अधिकांश शेयरधारिता से युक्त है अथवा एक वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपये से अधिक अर्जित कर रहा है, अर्जित कमीशन, संबंधित पक्षकार लेनदेनों, घोषित और प्रदत्त लाभ और लाभांश का विवरण समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म और पद्धति में प्राधिकरण को वार्षिक आधार पर प्रकट करेगा और इस प्रकार प्रकट करना जारी रखेगा। बीमा विपणन फर्म इन प्रकटीकरणों को प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और पद्धति में अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।

(ix) प्रत्येक बीमा विपणन फर्म अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में, बीमा मध्यस्थता से प्राप्त राजस्वों और बीमाकर्ताओं से अन्य आय/प्राप्तियों का विवरण देते हुए एक अलग अनुसूची रखेगा और प्रकट करेगा। लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की एक प्रति उनपर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सहित प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले प्रस्तुत की जाएगी।”

(15) **विनियम (27) में,**

(क) **शीर्षक में,** शब्द “रिपोर्टें” को शब्द “विवरणियाँ/दस्तावेज” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) **उप-विनियम (27.1) को** प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

बीमा विपणन फर्म प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सही और संपूर्ण विनियामक विवरणियाँ, रिपोर्टें, तथा कोई अन्य सूचना समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म और पद्धति में प्रस्तुत करेगा। कोई भी बीमा विपणन फर्म

जो इस अपेक्षा का अनुपालन नहीं करता, अधिनियम की धारा 102 के उपबंधों के अनुसार अर्थदंड के लिए जिम्मेदार बन सकता है।

(16) अनुसूची (I), भाग III में,

- (क) खंड (ख) के प्रारंभिक खंड में, शब्द 'अथवा नवीकरण' छोड़ दिये जाएँगे।
- (ख) खंड (ग) में, शब्द 'नया अथवा वर्तमान का नवीकरण' छोड़ दिये जाएँगे।

(17) अनुसूची (IV), भाग III में,

- (क) खंड (3) में, शब्द 'और नवीकरण आवेदन' छोड़ दिये जाएँगे।
- (ख) खंड (6) में, शब्द "और नवीकरण। नवीकरण के समय विकल्प दिये गये अतिरिक्त क्षेत्रों के संबंध में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा" छोड़ दिये जाएँगे।
- (ग) खंड (7) छोड़ दिया जाएगा।
- (घ) खंड (8) छोड़ दिया जाएगा।

(18) अनुसूची (V), भाग (I), खंड (3), उप-खंड (च) में, शब्द "बीमा विपणन फर्म के पंजीकरण के नवीकरण के समय अथवा" छोड़ दिये जाएँगे।

(19) अनुसूची (VIII), भाग (III) में, खंड (ii) के बाद निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाएगा:

"(iii) बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (6) के खंड (v) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से निलंबित किया जाएगा जिसके लिए वार्षिक शुल्क देय है, जहाँ बीमा विपणन फर्म अनुसूची XI में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता। प्राधिकरण ऐसे निलंबन के लिए कारण बीमा विपणन फर्म को लिखित में सूचित करेगा।"

प्राधिकरण उक्त निलंबन को वापस ले सकता है, यदि बीमा विपणन फर्म अनुसूची XI में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान, वार्षिक शुल्क के बीस प्रतिशत के समान अतिरिक्त शुल्क के साथ, निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर करता है।

जहाँ बीमा विपणन फर्म ऐसा वार्षिक शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर नहीं करता, वहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (6) के खंड (v) के अधीन निरस्त किया जाएगा।

इस विनियम के अंतर्गत बीमा विपणन फर्म के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते समय अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया ऊपर के पैरा II के खंड (4) और (5) में विनिर्दिष्ट रूप में है।

(20) अनुसूची X के बाद, निम्नलिखित उपबंध निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची XI
(विनियम 4 और 14 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015

शुल्क के भुगतान के लिए अनुदेश और शुल्क का भुगतान न करने के परिणाम

- (1) प्रत्येक आवेदक विनियम 4 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय रु. 10,000/- के वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क और लागू करों का भुगतान करेगा। शुल्क विनिर्दिष्ट रूप में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के द्वारा देय होगा। किसी भी आवेदन का प्रसंस्करण आवेदन-शुल्क के बिना नहीं किया जाएगा।
- (2) विनियम 4 अथवा विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान करने के लिए सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक उक्त सूचना की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर चालू वित्तीय वर्ष के लिए रु. 10,000/- के वार्षिक शुल्क और लागू करों का भुगतान करेगा।
- (3) अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक शुल्क प्राप्त होने पर, प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म के रूप में कार्य करने अथवा कार्य करना जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रदान करेगा।
- (4) विनियम 4 अथवा विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त बीमा विपणन फर्म प्राधिकरण को नीचे (5) में विनिर्दिष्ट रूप में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के 31वें दिन से पहले वार्षिक शुल्क और लागू करों का भुगतान करेगा।
- (5) वार्षिक शुल्क निम्नलिखित में से उच्चतर होगा:
 - क. दस हजार रुपये; अथवा
 - ख. वार्षिक शुल्क जिस वर्ष में देय है, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बीमाकर्ता से प्राप्त कमीशन और अन्य प्राप्त राशियों के एक प्रतिशत का पच्चीसवाँ भाग जो अगले हजार तक पूर्णांकित हो।
- (6) यदि बीमा विपणन फर्म विनिर्दिष्ट तारीख से पहले वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, तो सक्षम प्राधिकारी एक अतिरिक्त शुल्क और लागू करों के साथ वार्षिक शुल्क का भुगतान स्वीकार कर सकता है—
 - क. वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत, यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर किया जाता है; अथवा
 - ख. वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत, यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख के उपरांत 30 दिन के बाद, परंतु भुगतान के अपेक्षित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाता है।

जहाँ बीमा विपणन फर्म उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले नहीं करता जिसमें उसका भुगतान करना नियत है, वहाँ इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

वार्षिक शुल्क और लागू करों का विप्रेषण प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: कमीशन से अभिप्रेत है, बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन), प्रापण या लेन-देन करने के लिए बीमाकर्ता के द्वारा बीमा विपणन फर्म को अदा किये जानेवाले पारिश्रमिक, या प्रतिफल या कोई भी प्रोत्साहन, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, सहित कोई भी कमीशन। वार्षिक शुल्क का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए, बीमा विपणन फर्म द्वारा प्राप्त किया गया कमीशन उसके लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार होगा।

अन्य प्राप्ति में शामिल हैं, वेब ब्रैंडिंग, शाखा ब्रैंडिंग, प्रदर्शन शुल्क, लोगो शुल्क, और इसी प्रकार की ब्रैंड दृश्यता पहलों, एवं व्यवसाय समर्थन और साझा की गई सेवा लागतों सहित, ब्रैंडिंग, विपणन, विज्ञापन, प्रचार और संवर्धनात्मक कार्यक्रमों हेतु प्रदत्त सेवाओं के लिए कोई भी प्राप्ति।

- (7) विनियम 4 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदत्त आवेदक, जहाँ ऐसे सीओआर की विधिमान्यता किसी वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान प्रारंभ होती है, वहाँ चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीओआर प्रदान करते समय देय वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए (5) में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करेंगे।
- (8) विनियम 14 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदत्त आवेदक, जहाँ पंजीकरण 31 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के दौरान प्राप्त किया गया है, वहाँ रु. 10,000/- के वार्षिक शुल्क और देय सात सौ पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीओआर प्रदान करने के समय लागू करें के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करेंगे।

(21) अनुसूची - एए को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

[अनुसूची - एए]

विदेशी निवेशकों की अधिकांश शेयरधारिता से युक्त बीमा मध्यवर्ती से वचन-पत्र

मैं _____ (व्यक्ति का नाम), _____ (बीमा मध्यवर्ती का नाम) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) / प्रधान अधिकारी (पीओ) / प्रबंध निदेशक निम्नलिखित का वचन देता हूँ / देती हूँ:

1. (बीमा मध्यवर्ती का नाम) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन एक सीमित (लिमिटेड) कंपनी के रूप में निगमित है;
2. बीमा मध्यवर्ती के (व्यक्ति का नाम), निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष अथवा (व्यक्ति का नाम) बीमा मध्यवर्ती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रधान अधिकारी / प्रबंध निदेशक (जो लागू न हो उसे काट दें) एक निवासी भारतीय नागरिक है;
3. इस कंपनी में नवीनतम प्रौद्योगिकीगत, प्रबंधकीय और अन्य कौशल लाऊंगा/लाऊंगी।

पीओ/ सीईओ/ प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

(22) फार्म-(ए), बिन्दु सं. (7) में, नोट के अंतर्गत, शब्द और अंक "विनियम 4" को "अनुसूची XI" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(23) फार्म-(ए) में, घोषणा, बिन्दु सं. (ड) के अंतर्गत, शब्द "अ-नवीकरण" को "निलंबन अथवा अभ्यर्पण" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(24) अनुबंध-2 में, क(ख) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 की अनुसूची XI के अंतर्गत निर्धारित रूप में मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा आवश्यक शुल्क का विप्रेषण”

(25) फार्म-बी को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015
फार्म बी
[विनियम 10 और 14 देखें]**

पंजीकरण प्रमाणपत्र
पंजीकरण सं. आईएमएफ

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) के रूप में कार्य करने के लिए को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा लगाई जानेवाली शर्तों और आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन होगा।

उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र दिन/माह/वर्ष से विधिमान्य होगा तथा वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन प्रचलन में रहेगा, जब तक यह प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता। उक्त आईएमएफ को राज्य में परिचालन करने की अनुमति दी जाएगी।

[क्यूआर कूट]

आदेशानुसार

स्थान:

दिनांक:

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

(26) फार्म सी – पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डुप्लिकेट) का फार्मेट छोड़ दिया जाएगा।**(27) फार्म डी – पंजीकरण के नवीकरण के प्रमाणपत्र का फार्मेट छोड़ दिया जाएगा।****(28) फार्म-ए में,**

क) शीर्षक “बीमा विपणन फर्म के पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन” को “विनियम 14 के अंतर्गत वर्तमान बीमा विपणन फर्मों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए आवेदन” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- ख) बिन्दु सं. (6) के अंतर्गत, नोट के अंतर्गत, शब्द और अंक “विनियम 14” को “अनुसूची XI” के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ग) घोषणा, बिन्दु सं. (छ) के अंतर्गत, शब्द “का नवीकरण” छोड़ दिये जाएँगे।
- घ) घोषणा, बिन्दु सं. (ट) के अंतर्गत, शब्द “अ-नवीकरण” को “निलंबन या अभ्यर्पण” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ड) आवेदक के हस्ताक्षरों के बाद, शीर्षक “बीमा विपणन फर्म के पंजीकरण के नवीकरण पंजीकरण के लिए संलग्न किया जानेवाला प्रलेखीकरण” को “विनियम 14 के अंतर्गत बीमा विपणन फर्म के पंजीकरण के लिए संलग्न किया जानेवाला प्रलेखीकरण” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- च) ए, भरे गये आवेदन के प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत, बिन्दु (क) में, शब्द “फार्म-डी” को “फार्म-एए” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- छ) ए, भरे गये आवेदन के प्रस्तुतीकरण के अंतर्गत, बिन्दु (ड) में, शब्द “नवीकरण” छोड़ दिया जाएगा।

अध्याय IV**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 में संशोधन****(1) उक्त विनियमों में सर्वत्र,**

(क) शब्द “मध्यवर्ती” जहाँ भी वह विद्यमान है, उसके लिए शब्द “बीमा मध्यवर्ती” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) विनियम (3) में, खंड (क), शब्द “अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण” छोड़ दिये जाएँगे।**(3) विनियम (4) में, खंड (ख) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**

“आवेदन के साथ अनुसूची XIII में विनिर्दिष्ट रूप में शुल्क का भुगतान संलग्न होगा।”

(4) विनियम (7), खंड (ख) में, उप-खंड (ix) को प्रतिस्थापन किया जाएगा, अर्थात् :-

क्या आवेदक ने अनुसूची XIII में विनिर्दिष्ट रूप में शुल्क का भुगतान किया है”

(5) विनियम (9) में, खंड (ग) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“यदि इन विनियमों के अधीन जारी किया गया अथवा इन विनियमों की अधिसूचना से पहले प्रचलन में स्थित विनियमों के अधीन जारी किया गया पंजीकरण निरस्त / अभ्यर्पित किया जाता है, इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन अथवा वर्तमान बीमा वेब संग्राहकों को नये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से अस्वीकृत किया जाता है, तो आवेदक ऐसे निरसन/अभ्यर्पण या अस्वीकरण की प्रभावी तारीख से एक वर्ष व्यतीत होने के बाद ही पंजीकरण के लिए नया आवेदन अथवा वर्तमान बीमा वेब संग्राहकों को नये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए आवेदन प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर विनियम 7 और विनियम 9 के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है। बशर्ते कि यदि पंजीकरण अनुसूची IX के फार्म X के खंड 2 के उप-खंड (च) के अंतर्गत निरस्त किया जाता है, तो इस विनियम के अंतर्गत एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि की अपेक्षा लागू नहीं होगी।”

(6) विनियम (10) में,

(क) प्रारंभिक पंक्ति में, शब्दों “विनियम 9” के बाद, शब्द “अथवा” को शब्द “अथवा के अंतर्गत प्रदत्त नवीकरण” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

(ख) उप-विनियम 10(च) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“बीमा वेब संग्राहक अपने माध्यम से अपेक्षा (सलिसिटेशन) की गई सभी बीमा पालिसियों के अभिलेख अनुरक्षित करेगा जिनमें बिक्री केन्द्र विक्रेता / नामोद्दिष्ट व्यक्ति / प्राधिकृत सत्यापक / कोई अन्य प्राधिकृत विक्रेता जिसने पालिसी का विक्रय किया हो, का नाम और कार्यात्मक पहचान सम्मिलित होगी। बीमा वेब संग्राहक द्वारा ऐसे व्यक्तियों की कार्यात्मक पहचान केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई विशिष्ट पहचान के आधार पर दी जाएगी। बीमा वेब संग्राहक सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अभिलेखों का अनुरक्षण ऐसी पद्धति में किया जाएगा जो प्राधिकरण को दूरस्थ तौर पर उनतक पहुँचने के लिए समर्थ बनायेगी।

प्रस्ताव फार्म, बीमा पालिसी और बीमा प्रमाणपत्र में बिक्री केन्द्र विक्रेता/नामोद्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकृत सत्यापक अथवा किसी अन्य प्राधिकृत विक्रेता जिसने पालिसी का विक्रय किया हो, के नाम और उसकी पहचान दर्ज

की जाएगी तथा इनके साथ ही, उस शाखा या कार्यालय की मोबाइल संख्या और ई-मेल पता भी दर्ज किये जाएँगे जिसके माध्यम से पालिसी की अपेक्षा (सलिसिटेशन) की गई हो।

बशर्ते कि जहाँ बिक्री केन्द्र विक्रेता, नामोद्दिष्ट व्यक्ति, प्राधिकृत सत्यापक, अथवा किसी अन्य प्राधिकृत विक्रेता की संबद्धता के बिना बीमा वेब संग्राहक के डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से पालिसी की अपेक्षा की गई हो, वहाँ प्रस्ताव फार्म, बीमा पालिसी दस्तावेज, और बीमा प्रमाणपत्र बीमा वेब संग्राहक की टेलीफोन संख्या और ई-मेल पता प्रकट करेंगे।

आगे यह भी शर्त है कि इस खंड के अंतर्गत टैगिंग संबंधी आवश्यकताएं 1 जनवरी, 2027 से लागू मानी जाएंगी।

स्पष्टीकरण: 'बिक्री केन्द्र विक्रेता' अथवा 'नामोद्दिष्ट व्यक्ति', अथवा 'अन्य प्राधिकृत विक्रेता' का अर्थ वही होगा जो संबंधित विनियामक अनुदेशों में प्राधिकरण द्वारा उन्हें दिया गया हो।"

(ग) खंड (ज) के बाद निम्नलिखित खंड को निविष्ट किया जाएगा:-

- "(i) बीमा वेब संग्राहक सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये प्रधान अधिकारी और प्राधिकृत सत्यापक प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त एक परीक्षा निकाय द्वारा संचालित कम से कम पच्चीस घंटे का प्रशिक्षण पूरा करें।"
- (ii) प्राधिकरण पालिसीधारकों के हित में तथा बीमा व्यवसाय की सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए इन विनियमों के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय अथवा उसके बाद आवश्यक समझे गये रूप में बीमा वेब संग्राहक के व्यवसाय पर शर्तें लगा सकता है।"

(7) विनियम (11) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"एक बार जारी किया गया पंजीकरण अनुसूची XIII में विनिर्दिष्ट रूप में वापस न करने योग्य वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में रहेगा, जब तक वह प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता अथवा बीमा वेब संग्राहक द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता।"

(8) विनियम (12) में, खंड (क) में, शब्द "आवेदन" के बाद शब्द "विनियम 3 अथवा विनियम 13 के अंतर्गत" निविष्ट किये जाएँगे।

(9) अध्याय III का शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"वर्तमान बीमा वेब संग्राहकों को नये प्रमाणपत्र का निर्गम"

(10) विनियम (13) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

वर्तमान बीमा वेब संग्राहकों को नये प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए प्रक्रिया -

- (1) इन संशोधन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले पंजीकरण प्रदत्त, तीन वर्ष की विधिमान्यता अवधि से युक्त बीमा वेब संग्राहक 31 जनवरी, 2027 से पहले किसी भी समय इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए फार्म एफ में प्राधिकरण को अनुसूची XIII में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि इस प्रकार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र इस विनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान करने की तारीख से प्रभावी होगा तथा उसके पहले जारी किया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र अमान्य समझा जाएगा।

बशर्ते कि जहाँ बीमा वेब संग्राहक 31 जनवरी 2027 से पहले आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, वहाँ वह 31 मार्च 2027 तक आवेदन ऐसे विलंब के लिए कारणों तथा लागू वार्षिक शुल्क और सात सौ पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के साथ प्रस्तुत कर सकता है तथा प्राधिकरण यदि संतुष्ट होता है कि अनुचित कठिनाई उत्पन्न होगी, तो ऐसे आवेदन पर विचार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ आवेदन 31 मार्च, 2027 तक प्रस्तुत नहीं किया जाता, वहाँ वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त हो जाएगा तथा उसके बाद, बीमा वेब संग्राहक विनियम 3 के अनुसार पंजीकरण के लिए नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आवेदन का प्रसंस्करण विनियम 7 और विनियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति में किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, फार्म ई में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

(11) विनियम (14) को छोड़ दिया जाएगा।

(12) विनियम (15) में,

(क) शीर्षक में, शब्द “नवीकरण” को “एक नएक्स ” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) “नवीकरण के लिए” शब्दों को “विनियम 13 के अंतर्गत” के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(13) उप-विनियम 16(ख) में, शब्द “अनुसूची II के फार्म-जे (पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (ड्रूप्लिकेट) उसपर एक पृष्ठांकन सहित कि वह एक अनुलिपि (ड्रूप्लिकेट) है” को “फार्म-ई” के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(14) विनियम 23 में, खंड (ख) के बाद निम्नलिखित खंड को निविष्ट किया जाएगा:

(viii) विदेशी निवेशकों की अधिकांश शेयरधारिता से युक्त अथवा एक वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपये से अधिक कमीशन अर्जित करनेवाला बीमा वेब संग्राहक प्राधिकरण को अर्जित कमीशन, संबंधित पक्षकार लेन-देनों, लाभों तथा घोषित और प्रदत्त लाभांश का प्रकटीकरण वार्षिक आधार पर समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और पद्धति में करेगा और ऐसा प्रकटीकरण करना जारी रखेगा। बीमा वेब संग्राहक ये प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और पद्धति में अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।”

(घ) बीमा वेब संग्राहक विनियामक विवरणियाँ, रिपोर्टें, तथा प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना ऐसे फार्म और पद्धति में प्रस्तुत करेगा, जैसा कि समय-समय पर प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इस अपेक्षा का अनुपालन न करनेवाले कोई भी बीमा वेब संग्राहक अधिनियम की धारा 102 के उपबंधों के अनुसार उसके विरुद्ध अर्थदंड लगाने के लिए बाध्य होगा।

(15) अनुसूची (I), फार्म (ई) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017**

**अनुसूची I – फार्म ई
विनियम 9 और 13 देखें
पंजीकरण प्रमाणपत्र**

पंजीकरण सं. : आईआरडीएआई/आईएनटी/डब्ल्यूबीए /

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा उस बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन बीमा वेब संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए XXXXXXXXXXXXXXXX को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा लगाई जानेवाली शर्तों और आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 के उपबंधों के अधीन होगा।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र दिन/माह/वर्ष से विधिमन्य होगा और वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा, जब तक यह प्राधिकरण द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता।

[क्यूआर कूट]

आदेशानुसार

हैदराबाद

दिनांक:

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

(16) अनुसूची (II), फार्म-(एफ),

(क) शीर्षक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“विनियम 13 के अंतर्गत वर्तमान बीमा वेब संग्राहकों हेतु नये पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए आवेदन”

(ख) अनुदेश 1, 2 और 5 में, शब्द “नवीकरण” छोड़ दिये जाएँगे।

(ग) अनुदेश 3 को “आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब आवेदन सभी प्रकार से भरा गया हो” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) बिन्दु सं. 5 में, शब्द “नवीकरण” को छोड़ दिया जाएगा।

(17) अनुसूची (III), फार्म-(जी) में,

(क) शीर्षक में, शब्द “नवीकरण” छोड़ दिये जाएँगे।

(ख) बिन्दु सं. (5) में, शब्द “नवीकरण” छोड़ दिये जाएँगे।

(ग) बिन्दु सं. (6) को “अनुसूची XIII के अंतर्गत उल्लिखित रूप में शुल्क का भुगतान” के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(18) अनुसूची II में, फार्म-एच को छोड़ दिया जाएगा।

(19) अनुसूची II में, फार्म-जे को छोड़ दिया जाएगा।

(20) अनुसूची IX, फार्म एक्स में,

(क) खंड (1) में, उप-खंड (ख) के बाद निम्नलिखित उप-खंड निविष्ट किया जाएगा:-

(ग) प्राधिकरण उक्त निर्णय की सूचना बीमा वेब संग्राहक को ऐसा निर्णय लेने की तारीख से तीस दिन के अंदर उसमें वे कारण बताते हुए देगा जिनपर उक्त निर्णय लिया गया है।

(घ) बीमा वेब संग्राहक प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील कर सकता है।

(ख) खंड (2) में, उप-खंड (ड) के बाद निम्नलिखित उप-खंड निविष्ट किया जाएगा:-

“(च) बीमा वेब संग्राहक का पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (6) के खंड (v) के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से निलंबित किया जाएगा जिसके लिए वार्षिक शुल्क देय है, जहाँ बीमा वेब संग्राहक अनुसूची XIII में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता। प्राधिकरण ऐसे निलंबन के लिए कारण बीमा वेब संग्राहक को लिखित में सूचित करेगा।

प्राधिकरण उक्त निलंबन को वापस ले सकता है, यदि बीमा वेब संग्राहक अनुसूची XIII में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगतान, वार्षिक शुल्क के बीस प्रतिशत के समान अतिरिक्त शुल्क के साथ निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर करता है।

जहाँ बीमा वेब संग्राहक ऐसे वार्षिक शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर नहीं करता, वहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (6) के खंड (v) के अंतर्गत निरस्त किया जाएगा।

इस विनियम के अधीन बीमा वेब संग्राहक के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते समय अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया ऊपर खंड (1) के खंड (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट रूप में होगी।”

(ग) खंड (5) में, शीर्षक में, शब्द “का नवीकरण” छोड़ दिये जाएँगे।

(घ) खंड (5), उप-खंड (क) में, शब्द “का नवीकरण” को छोड़ दिया जाएगा।

(ड) खंड (5), उप-खंड (ख) में, शब्द “नवीकरण” को छोड़ दिया जाएगा।

(च) खंड (5), उप-खंड (ग) में, शब्द “नवीकरण/पंजीकरण प्रमाणपत्र को निरस्त करने के लिए” छोड़ दिये जाएँगे।

(21) अनुसूची XII के बाद, निम्नलिखित प्रावधान निविष्ट की जाएगी:-

अनुसूची XIII

[विनियम 3 और 13 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017

शुल्क के भुगतान के लिए अनुदेश और शुल्क का भुगतान न करने के परिणाम ---

- (1) प्रत्येक आवेदक विनियम 3 के अंतर्गत पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत करते समय रु. 10,000/- के एक वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क और लागू करों का भुगतान करेगा। यह शुल्क विनिर्दिष्ट रूप में मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को देय होगा। किसी भी आवेदन का प्रसंस्करण आवेदन शुल्क के बिना नहीं किया जाएगा।
 - (2) विनियम 3 अथवा विनियम 13 के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान करने के लिए सूचना प्राप्त करने के बाद, आवेदक (5) में विनिर्दिष्ट रूप में रु. 10,000/- के वार्षिक शुल्क और लागू करों का भुगतान सूचना की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर करेगा।
 - (3) अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक शुल्क प्राप्त होने पर, प्राधिकरण बीमा वेब संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए अथवा कार्य करना जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रदान करेगा।
 - (4) विनियम 3 या विनियम 13 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त बीमा वेब संग्राहक तदुपरांत प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क और लागू करों का भुगतान नीचे (5) में विनिर्दिष्ट रूप में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के 31वें दिन से पहले करेगा।
 - (5) वार्षिक शुल्क निम्नलिखित में से उच्चतर होगा:
 - क) दस हजार रुपये; या
 - ख) जिस वित्तीय वर्ष में वार्षिक शुल्क का भुगतान देय है, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बीमाकर्ता से कमीशन और अन्य प्राप्तियों के एक प्रतिशत का पच्चीसवाँ भाग जो अगले हजार तक पूर्णांकित हो।
 - (6) यदि कोई बीमा वेब संग्राहक विनिर्दिष्ट तारीख से पहले वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, तो सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार अतिरिक्त शुल्क और लागू करों के साथ वार्षिक शुल्क के भुगतान को स्वीकार कर सकता है –
 - (क) वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर किया जाता है; या
 - (ख) वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख के उपरांत 30 दिन के बाद परंतु उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाता है जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।
- जहाँ बीमा वेब संग्राहक ने जिस वित्तीय वर्ष में शुल्क का भुगतान करना नियत है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले शुल्क का भुगतान नहीं किया है, इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

वार्षिक शुल्क और लागू कर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये रूप में इलेक्ट्रानिक पद्धति में विप्रेषित किये जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण: कमीशन से बीमाकर्ता द्वारा बीमा वेब संग्राहक को बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) या प्रापण या लेनदेन करने के लिए अदा किये जानेवाले पारिश्रमिक, या प्रतिफल या किसी प्रोत्साहन सहित, कोई भी क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए। वार्षिक शुल्क का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए, बीमा वेब संग्राहक द्वारा प्राप्त कमीशन, उसके लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों में बताये गये रूप में होगा।

अन्य प्राप्ति में शामिल हैं, वेब ब्रैंडिंग, शाखा ब्रैंडिंग, प्रदर्शन शुल्क, लोगो शुल्क और इसी प्रकार की ब्रैंड दृश्यता पहलों, एवं व्यवसाय समर्थन और साझा की गई सेवा लागतों सहित, ब्रैंडिंग, विपणन, विज्ञापन, प्रचार और संवर्धनात्मक गतिविधियों हेतु दी गई सेवाओं के लिए कोई भी प्राप्ति।

- (7) आवेदक जिन्हें विनियम 3 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया जाता है, जहाँ ऐसे सीओआर की विधिमान्यता किसी वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान प्रारंभ होती है, वहाँ वे चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीओआर प्रदान करने के समय देय वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए (5) में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करेंगे।
- (8) विनियम 13 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त आवेदक, जहाँ पंजीकरण 31 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के दौरान प्राप्त की गई है, रु.10,000/- के वार्षिक शुल्क और देय सात सौ पचास रुपये का एक अतिरिक्त शुल्क तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीओआर प्रदान करने के समय लागू करों के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए (5) में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करेंगे।

(22) अनुसूची एए को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

[अनुसूची-एए]

विदेशी निवेशकों की अधिकांश शेयरधारिता से युक्त बीमा मध्यवर्ती से वचन-पत्र

मैं _____ (व्यक्ति का नाम), _____ (बीमा मध्यवर्ती का नाम) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) / प्रधान अधिकारी (पीओ) / प्रबंध निदेशक निम्नलिखित का वचन देता हूँ / देती हूँ:

1. (बीमा मध्यवर्ती का नाम) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन एक सीमित (लिमिटेड) कंपनी के रूप में निगमित है;
2. बीमा मध्यवर्ती के (व्यक्ति का नाम), निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष अथवा (व्यक्ति का नाम) बीमा मध्यवर्ती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रधान अधिकारी / प्रबंध निदेशक (जो लागू न हो उसे काट दें) एक निवासी भारतीय नागरिक है;
3. इस कंपनी में नवीनतम प्रौद्योगिकीगत, प्रबंधकीय और अन्य कौशल लाऊंगा/लाऊंगी।

पीओ/ सीईओ/ प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर

अध्याय V
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(सामान्य लोक सेवा केन्द्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2019 का संशोधन

(1) विनियमों में सर्वत्र,

शब्द “मध्यवर्ती” के लिए, जहाँ भी वह विद्यमान है, शब्द “बीमा मध्यवर्ती” प्रतिस्थापित किये जाएँगे।

(2) विनियम 5 में,

क) उप-विनियम 5.1 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

पंजीकरण की विधिमान्यता अनुसूची VIII में विनिर्दिष्ट रूप में वापस न करने योग्य वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन होगी, एक बार जारी किया गया पंजीकरण तब तक प्रचलन में रहेगा, जब तक वह प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता अथवा सीपीएससी-एसपीवी द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया जाता।”

ख) उप-विनियम 5.2 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“यदि सीपीएससी-एसपीवी का पंजीकरण अभ्यर्पित, निलंबित या निरस्त किया जाता है, तो पालिसीधारकों को संबंधित बीमाकर्ताओं के द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी।”

ग) उप-विनियम 5.3 को छोड़ दिया जाएगा।

(3) भाग II के शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वर्तमान सीपीएससी-एसपीवी का प्रमाणीकरण”

(4) विनियम 6 में, उप-विनियम 6.1 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

इन संशोधन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले तीन वर्ष की विधिमान्यता अवधि के साथ पंजीकरण प्रदत्त सीपीएससी-एसपीवी, 31 जनवरी, 2027 से पहले किसी भी समय, अनुसूची VIII में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क के भुगतान के साथ इन विनियमों के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम के लिए प्राधिकरण को फार्म ए में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

बशर्ते कि इस प्रकार जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जब इस विनियम के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण और उसके पहले जारी किया गया कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र अमान्य माना जाएगा।

बशर्ते कि जहाँ सीपीएससी-एसपीवी 31 जनवरी, 2027 से पहले आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, वहाँ वह उक्त आवेदन 31 मार्च, 2027 तक, ऐसे विलंब के लिए कारणों तथा लागू वार्षिक शुल्क और सात सौ पचास रुपये के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान सहित प्रस्तुत कर सकता है, तथा प्राधिकरण यदि संतुष्ट होता है कि अन्यथा अनुचित कठिनाई उत्पन्न होगी, तो ऐसे आवेदन पर विचार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त होगी कि जहाँ आवेदन सीपीएससी-एसपीवी द्वारा 31 मार्च 2027 तक प्रस्तुत नहीं किया जाता, वहाँ वह पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को और उस तारीख से सीपीएससी-एसपीवी के रूप में कार्य करना बंद करेगा तथा उसके बाद सीपीएससी-एसपीवी विनियम 4 के अनुसार पंजीकरण के लिए नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(5) विनियम 6 में,

क) उप-विनियम 6.2 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक सभी शर्तों को पूरा करता है, फार्म बी में पंजीकरण प्रदान करेगा।”

ख) उप-विनियम 6.3 को छोड़ दिया जाएगा।

ग) उप-विनियम 6.4 को छोड़ दिया जाएगा।

घ) उप-विनियम 6.5 को छोड़ दिया जाएगा।

ङ) उप-विनियम 6.6 को छोड़ दिया जाएगा।

(6) विनियम 7, उप-विनियम 7.2 में, “फार्म-बी2” शब्दों को “फार्म-बी” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।**(7) अनुसूची II के भाग I के खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड को निम्नानुसार निविष्ट किया जाएगा:-**

(छ) सीएसपीसी-एसपीवी अपने माध्यम से अपेक्षा (सलिसिटेशन) की गई सभी बीमा पालिसियों के अभिलेख अनुरक्षित करेगा, जिनमें आरएपी/वीएलई-आईएनएस का नाम और कार्यात्मक पहचान भी शामिल हैं जिन्होंने पालिसी की अपेक्षा या उसका विक्रय किया है। ऐसे व्यक्तियों की कार्यात्मक पहचान केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई विशिष्ट पहचान के आधार पर आरएपी/वीएलई-आईएनएस द्वारा दी जाएगी। आरएपी/वीएलई-आईएनएस सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अभिलेखों का अनुरक्षण ऐसी पद्धति में की जाएगी जो प्राधिकरण को दूरस्थ तौर पर उनतक पहुँच के लिए समर्थ बनायेगी।

प्रस्ताव फार्म, बीमा पालिसी और बीमा प्रमाणपत्र में, आरएपी/वीएलई-आईएनएस के नाम और पहचान को दर्ज किया जाएगा जिसने पालिसी का विक्रय किया है तथा इसके साथ उस शाखा या कार्यालय की मोबाइल संख्या और ई-मेल पता भी दर्ज किये जाएँगे जिसके माध्यम से पालिसी की अपेक्षा (सलिसिटेशन) की गई थी।

बशर्ते कि जहाँ आरएपी/वीएलई-आईएनएस की संबद्धता के बिना सीपीएससी-एसपीवी के डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सीधे पालिसी अपेक्षित की गई हो, वहाँ प्रस्ताव फार्म, बीमा पालिसी दस्तावेज और बीमा प्रमाणपत्र प्रधान अधिकारी की टेलीफोन संख्या और ई-मेल पते को प्रकट करेंगे।

आगे यह भी शर्त है कि इस खंड के अंतर्गत टैगिंग संबंधी आवश्यकताएं 1 जनवरी, 2027 से लागू मानी जाएंगी।

(8) अनुसूची VI के भाग III को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**“भाग III****नोटिस के बिना सीपीएससी-एसपीवी के पंजीकरण का निलंबन**

1. सीपीएससी-एसपीवी का पंजीकरण नोटिस के बिना निलंबित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने लिखित में इसके लिए कारण सूचित कर दिये हों

- (i) यदि वह धोखाधड़ी का दोषी पाया जाता है, अथवा किसी आपराधिक दुर्व्यवहार के लिए दोषसिद्ध पाया जाता है;
 - (ii) ऐसी चूकें करता है, जिनके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
2. सीपीएससी-एसपीवी का पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (6) के खंड (v) के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से निलंबित किया जाएगा जिसके लिए वार्षिक शुल्क देय है, जहाँ सीपीएससी-एसपीवी अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता। प्राधिकरण सीपीएससी-एसपीवी को ऐसे निलंबन के लिए कारण लिखित में सूचित करेगा।

प्राधिकरण उक्त निलंबन को वापस ले सकता है-एसपीवी अनुसूची-यदि सीपीएससी, VIII में विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क का भुगताननिलंबन की तारीख से तीन महीने ,वार्षिक शुल्क के बीस प्रतिशत के समान अतिरिक्त शुल्क के साथ , के अंदर करता है।

जहाँ सीपीएससी-एसपीवी ऐसा वार्षिक शुल्क और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान निलंबन की तारीख से तीन महीने के अंदर नहीं करता, वहाँ पंजीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (6) के खंड (v) के अनुसार निरस्त किया जाएगा।

इस भाग के अंतर्गत पंजीकरण निलंबन के बाद सीपीएससी-एसपीवी के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते समय अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया ऊपर के पैरा II के खंड में विनिर्दिष्ट रूप में है।

- (9) अनुसूची VII के बाद, निम्नलिखित अनुसूची निम्नानुसार निविष्ट की जाएगी:-

अनुसूची VIII

[विनियम 5.1 और 6.1 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य लोक सेवा केन्द्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2019 के अंतर्गत

शुल्क का भुगतान करने के लिए अनुदेश और शुल्क का भुगतान न करने का परिणाम ---

- (1) प्रत्येक आवेदक विनियम 3 के अधीन पंजीकरण का आवेदन करते समय रु. 10,000/- और लागू करों के साथ के वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। यह शुल्क विनिर्दिष्ट रूप में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के द्वारा देय होगा। किसी भी आवेदन का प्रसंस्करण आवेदन शुल्क के बिना नहीं किया जाएगा।
- (2) विनियम 4 अथवा विनियम 14 के अंतर्गत पंजीकरण प्रदान करने के लिए सूचना प्राप्त होने पर, आवेदक उक्त सूचना की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर चालू वित्तीय वर्ष के लिए रु. 10,000/- के वार्षिक शुल्क और लागू करों का भुगतान करेगा।
- (3) अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक शुल्क प्राप्त होने पर, प्राधिकरण जिस श्रेणी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उस श्रेणी में सीपीएससी-एसपीवी के रूप में कार्य करने अथवा कार्य करना जारी रखने के लिए पंजीकरण प्रदान करेगा।
- (4) विनियम 4 अथवा विनियम 6 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त सीपीएससी-एसपीवी तदुपरांत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान प्राधिकरण को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जनवरी के 31वें दिन से पहले, नीचे (5) में विनिर्दिष्ट रूप में करेगा।

(5) वार्षिक शुल्क निम्नलिखित में से उच्चतर होगा:

- क) दस हजार रुपये; या
- ख) जिस वित्तीय वर्ष में वार्षिक शुल्क का भुगतान देय है, उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बीमाकर्ता से कमीशन और अन्य प्राप्तियों के एक प्रतिशत का पच्चीसवाँ भाग जो अगले हजार तक पूर्णकृत हो।

(6) यदि कोई सीपीएससी-एसपीवी विनिर्दिष्ट तारीख से पहले वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं करता, तो सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार अतिरिक्त शुल्क और लागू करों के साथ वार्षिक शुल्क के भुगतान को स्वीकार कर सकता है –

(क) वार्षिक शुल्क का दो प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर किया जाता है; या

(ख) वार्षिक शुल्क का दस प्रतिशत यदि शुल्क का भुगतान वार्षिक शुल्क के भुगतान की अंतिम तारीख के उपरांत 30 दिन के बाद परंतु उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाता है जिसमें वार्षिक शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

जहाँ सीपीएससी-एसपीवी ने जिस वित्तीय वर्ष में शुल्क का भुगतान करना नियत है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले शुल्क का भुगतान नहीं किया है, इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।

वार्षिक शुल्क और लागू कर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये रूप में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विप्रेषित किये जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण: कमीशन से बीमाकर्ता द्वारा सीपीएससी-एसपीवी को बीमा व्यवसाय की अपेक्षा (सलिसिटेशन) या प्रापण या लेनदेन करने के लिए अदा किये जानेवाले पारिश्रमिक, या प्रतिफल या किसी प्रोत्साहन सहित, कोई भी क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए। वार्षिक शुल्क का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए, सीपीएससी-एसपीवी द्वारा प्राप्त कमीशन, उसके लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों में बताये गये रूप में होगा।

अन्य प्राप्तियों में शामिल हैं, वेब ब्रैंडिंग, शाखा ब्रैंडिंग, प्रदर्शन शुल्क, लोगो शुल्क और इसी प्रकार की ब्रैंड दृश्यता पहलों, एवं व्यवसाय समर्थन और साझा की गई सेवा लागतों सहित, ब्रैंडिंग, विपणन, विज्ञापन, प्रचार और संवर्धनात्मक गतिविधियों हेतु दी गई सेवाओं के लिए कोई भी प्राप्तियाँ।

(7) आवेदक जिन्हें विनियम 4 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया जाता है, जहाँ ऐसे सीओआर की विधिमान्यता किसी वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान प्रारंभ होती है, वहाँ वे चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीओआर प्रदान करने के समय देय वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए (5) में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करेंगे।

(8) विनियम 6 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त आवेदक, जहाँ पंजीकरण 31 जनवरी 2027 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के दौरान प्राप्त की गई है, रु.10,000/- के वार्षिक शुल्क और देय सात सौ पचास रुपये का एक अतिरिक्त शुल्क तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए सीओआर प्रदान करने के समय लागू करों के अतिरिक्त, तत्काल अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए (5) में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करेंगे।

(10) फार्म ए में, शब्द “पंजीकरण का नवीकरण” छोड़ दिये जाएँगे।

(11) फार्म बी2 छोड़ दिया जाएगा।

(12) फार्म बी के लिए निम्नलिखित फार्म को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

फार्म बी
पंजीकरण प्रमाणपत्र
(विनियम 4 और 6)

पंजीकरण कूट:

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा को बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत सीपीएससी-एसपीवी के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा लागू की जानेवाली शर्तों तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य लोक सेवा केन्द्रों के द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2019 के उपबंधों के अधीन होगा।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र दिन/माह/वर्ष से विधिमान्य होगा तथा वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन तब तक प्रचलन में होगा जब तक इसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता।

(क्यूआर कूट)

स्थान:

दिनांक:

आदेशानुसार

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

जी. आर. सूर्या कुमार, कार्यकारी निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./248/2026-27]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 30th July, 2026

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IRDAI/Reg/ 8/222/2026.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 114A read with sections 42D and 42E, sub sections (5) and (6) of section 2C of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short Title and commencement:

- 1.1. These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2026.
- 1.2. These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective:

- 2.1 The objective of these regulations is to align the regulatory framework governing insurance intermediaries with the provisions of the Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Act, 2025 and the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2025.
- 2.2 To enhance accountability and transparency in the conduct of insurance intermediaries and safeguarding policyholder's interests.

CHAPTER I

Amendment to IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

(1) In regulation 4, sub-regulation (3) shall be substituted, namely:-

“The application under sub-regulation (2) shall be accompanied by application fees as specified in Schedule VI.”

(2) In regulation 7, sub-regulation (3),

- a) clause (c) shall be omitted.
- b) clause (d) shall be omitted.
- c) clause (e) shall be omitted.

(3) In regulation 9, sub-regulation (3) shall be substituted, namely:-

“In the event that a Certificate of Registration issued under these Regulations, or under the regulations in force prior to the notification of these Regulations, is cancelled or surrendered, or where an application for registration under these Regulations, or an application for issuance of a fresh

Certificate of Registration by an existing Corporate Agent, is rejected for the reasons specified therein, the applicant may submit a fresh application only after the expiry of one year from the effective date of such cancellation, surrender, or rejection, as the case may be.

The Authority may consider such fresh application on its merits in accordance with Regulation 7.

Provided that where the registration has been cancelled under sub-clause (2) of Clause III of Schedule V, the requirement of a one-year waiting period under this regulation shall not apply.”

(4) Regulation 10, shall be substituted, namely:-

“Validity of registration— A registration once issued shall remain in force subject to payment of non-refundable annual fee as specified in Schedule VI until it is suspended, or cancelled by the Authority or surrendered by the Corporate Agent.”

(5) Regulation 11, shall be substituted, namely:-

“Procedure for issuance of fresh certificate to the existing Corporate Agents

(1) A Corporate Agent granted registration prior to the commencement of these amendment regulations with a validity period of three years shall, at any time prior to 31st January 2027, apply to the Authority in Form A for issuance of Certificate of Registration under these regulations, along with payment of annual fee as specified in Schedule VI.

Provided that the Certificate of Registration so issued shall take effect from the date on which registration is granted under this regulation, and any Certificate of Registration issued prior thereto shall be deemed invalid.

Provided that where a Corporate Agent fails to submit the application before 31st January 2027, it may submit the application by 31st March 2027 along with reasons for such delay and payment of the applicable annual fee and an additional fee of seven hundred and fifty rupees, and the Authority may, if satisfied that undue hardship would be caused otherwise, consider such application.

Provided further that where the application is not submitted by the Corporate Agent by 31st March 2027, it shall cease to act as a Corporate Agent on and from the expiry of the aforementioned period and thereafter, the Corporate Agent shall apply afresh for registration in accordance with regulation 4.

(2) An application under sub-regulation (1) shall be processed in the manner specified under regulation 6 and regulation 7.

(3) The Authority, upon being satisfied that the applicant complies with the requirements under these regulations, may issue a Certificate of Registration in Form B.”

(6) In Regulation 12,

- a) sub-regulation (1), the words “renewal thereof” and “or renew” shall be omitted.
- b) sub-regulation (2), the words “or renew” shall be omitted.

(7) In Regulation 13, sub-regulation (1), the words “of a renewal thereof” shall be omitted.**(8) In Regulation 14,**

- a) opening line, the words “the renewal” shall be omitted.
- b) clause (v), shall be substituted, namely:-

“Every Corporate Agent shall ensure that no insurance solicitation shall be carried out from a branch office unless a Specified Person, who is assigned exclusively to that branch, has been appointed and each of its branch offices employs adequate number of Specified Persons commensurate with the volume of its business, including the number of members enrolled under group policies.”
- c) clause (vi), shall be substituted, namely:-

“The Corporate Agent shall maintain records of all insurance policies solicited through it, including the name and functional identity of the Specified Person/ Point of Sales Person/ Designated Person/ Authorised Verifier or any other authorised salesperson who sold the policy. The functional identity of such persons shall be assigned by the Corporate Agent based on a unique identity issued by the Central Government. The Corporate Agent shall ensure that such records are maintained in a manner that enables the Authority to access them remotely.

The proposal form, insurance policy and Certificate of Insurance shall record the name and functional identity of Specified Person/ Point of Sales Person/ Designated Person/ Authorised Verifier or any other authorised salesperson who sold the policy along with the mobile number and email address of the branch or office through which the policy was solicited.

Provided that, where a policy is solicited directly through the digital platform of the Corporate Agent, without the involvement of a Specified Person, Point of Sales Person, Designated Person, Authorised Verifier, or any other authorised salesperson, the proposal form, insurance policy document, and certificate of insurance shall disclose the telephone number and email address of the Principal Officer of Corporate Agent.

Provided further that the requirements relating to tagging under this clause shall be applicable with effect from 1st January, 2027.

Explanation: 'Point of Sales Person' or 'Designated Person' or 'other Authorised Salesperson' shall have the same meaning as assigned to it by the Authority in the concerned regulatory instructions."

d) after clause (ix), following clause shall be inserted, namely:-

"(x) Principal Officer and Specified Persons shall complete, at least twenty-five hours of theoretical and practical training, from an approved institution every three years."

e) after clause (x), following clause shall be inserted, namely:-

"(xi) The Specified Persons engaged by Corporate Agent to solicit and procure insurance business shall have a valid Letter of Enrollment issued by the Authority as specified in these regulations."

f) after clause (xi), following clause shall be inserted, namely:-

"(xii) A Specified Person of a Corporate Agent who desires to switch over to any other Corporate Agent, shall obtain a no objection certificate from the current Corporate Agent. In case, the current Corporate Agent does not issue a no objection certificate within 30 days or does not raise any objection explicitly, it shall be deemed that the said Corporate Agent has no objection to the switching over of the Specified Person."

g) after clause (xii), following clause shall be inserted, namely:-

"(xiii) The Corporate Agent shall furnish accurate and complete regulatory returns, reports, and any other information sought by the Authority, in such form and manner as may be specified by the Authority from time to time. Any Corporate Agent that fails to comply with this requirement shall be liable to a penalty in accordance with the provisions of Section 102 of the Act."

h) after clause (xiii), following clause shall be inserted, namely:-

"(xiv) The Authority may, in the interest of policyholders, orderly growth of the insurance business, impose such conditions on the business of a Corporate Agent as may be deemed necessary at the time or after the grant of Certificate of Registration under these regulations."

(9) Regulation 17 shall be substituted, namely:-

"Nomenclature of Corporate Agent and Associations

- (1) An Applicant whose principal business is to exclusively carry on insurance intermediation as Corporate Agent shall have the word "insurance" or "assurance", in the name of the Corporate Agent.
- (2) Any association/body of Corporate Agents may use the word "insurance" or "assurance", to indicate the nature of its organization, purposes and services."

(10) In Regulation 19, sub-regulation (1) shall be substituted, namely:-

“Every Corporate Agent, where the revenues from their insurance intermediation activities is more than fifty per cent of their total revenue from all the activities, shall take out and maintain at all times a professional indemnity insurance cover while the Certificate of Registration remains in force.”

(11) In Regulation 22, sub-regulation (5), the words “certificate number ” shall be substituted with “enrollment number”.

(12) In Regulation 25

a) clause (iii) of sub-regulation (2), shall be substituted, namely:-

“Further, the Corporate Agent shall file with the Authority the complete details of Authorised Verifiers engaged/ proposed to be engaged in the format as specified by the Authority from time to time. The Authority on verification of the same issue a Letter of Enrollment to the Authorised Verifier as specified in these Regulations.”

b) Clause (iv) of sub-regulation (2), shall be substituted, namely:-

“In case an Authorised Verifier intends to switch to another telemarketer who is also dealing with insurance intermediation, they shall obtain a No Objection Certificate from the erstwhile telemarketer and submit the same to the Authority for issuing a fresh Letter of Enrollment. In case, the present telemarketer does not issue a no objection certificate within 30 days from the date of application for the same, it shall be deemed that the telemarketer has no objection to his switching over;”

c) Clause (v) of sub-regulation (2), shall be omitted.

d) Clause (vi) to (xii) shall be renumbered as clause (v) to (xi)

e) the following sub-regulation shall be inserted after sub-regulation (3), namely:

“(4) Authorised Verifiers shall pass in the pre-recruitment test conducted by the examination body nominated by the Authority, and complete practical training from a training institution approved by the Authority.”

(13) In Regulation 26, sub-regulation (2) the words “which may extend to one crore rupees” shall be omitted.

(14) In Regulation 31, sub-Regulation (2), shall be substituted, namely:-

“In the case of Corporate Agents whose principal business is other than insurance intermediation, there shall be a schedule to their financial statements, of revenues received for insurance intermediation and other income/receipts from insurers. A copy of the audited financial statements along with the auditor’s report thereon shall be submitted to the Authority before 30th September every year.”

(15) In Regulation 31, after sub-Regulation (3), following shall be inserted:-

“(4) A Corporate Agent having majority shareholding of foreign investors or earning commission in a financial year exceeding rupees ten crore, shall disclose and continue to disclose on an annual basis to the Authority, details of commission earned, related party transactions, profits and dividend declared and paid in the form and manner as specified by the Authority from time to time. The Corporate Agent shall also publish these disclosures on its website in the form and manner as specified by the Authority.”

(16) In Schedule I, Form A,

- a) In the Note to Sl. No.7, the words “Regulation 17” shall be substituted with “Schedule VI”
- b) the Declaration (e), shall be substituted, namely:-
“(e) I/We undertake to service the run-off business on the books at the time of cancellation or suspension or surrender of registration.”

(17) In sub clause (b) of clause A of Annexure 2, the words “Regulation 17” shall be substituted by “Schedule VI”

(18) In Schedule III, the sub clause (a) of the clause 3 (i) of clause II. Pre-sale Code of Conduct, shall be substituted, namely:-

“(a) identify himself and disclose his Registration/ Certificate / Letter of Enrollment issued by the Authority or Approved Institution as the case may be, to the prospect on demand;”

(19) In Schedule V, clause III, shall be substituted, namely:-

“III. Suspension or Cancellation of Certificate of Registration of a Corporate Agent without notice

1. The Registration of a Corporate Agent may be cancelled or suspended without notice, provided the Authority has communicated to the Corporate Agent the reasons for the cancellation in writing:
 - (i) if it is found guilty of fraud, or is convicted of a criminal offence;
 - (ii) commits such defaults, which require immediate action in the opinion of the Authority;
2. The Certificate of Registration of a Corporate Agent shall stand suspended under clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act with effect from 1st April of the financial year for which the annual fee is payable, where the Corporate Agent fails to pay the annual fee within the time period specified in Schedule VI. The Authority shall communicate the reasons for such suspension in writing to the Corporate Agent.

The Authority may revoke the suspension if the Corporate Agent pays the annual fee specified in Schedule VI, together with an additional fee equal to twenty per cent of the annual fee, within three months from the date of suspension.

Where the Corporate Agent fails to pay such annual fee and additional fee within three months from the date of suspension, the Certificate of Registration shall stand cancelled in accordance with clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act.

The procedure to be followed while initiation of Action against the Corporate Agent under this regulation is as specified in clauses (4) and (5) of Part II above.”

(20) After Schedule V, Schedule VI shall be inserted namely:-

Schedule VI

[See regulation 4 & 11]

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents)
Regulations, 2015**

Instruction for Payment of fees and the consequences of failure to pay fees —

- (1) Every applicant shall at the time of application of registration under regulation 4 pay non-refundable application fee of Rs. 10,000/- plus applicable taxes. The fees shall be payable by recognized electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India, as specified. No application shall be processed without the application fee.
- (2) Upon receipt of communication for grant of registration under Regulation 4 or Regulation 11, the applicant shall pay the annual fee of Rs. 10,000/- plus applicable taxes for ongoing financial year within 15 days of receipt.
- (3) Upon receipt of the annual fee *inter-alia*, the Authority shall grant registration to act or continue to act as a Corporate Agent under the category for which the application has been made.
- (4) A Corporate Agent granted a Certificate of Registration under Regulation 4 or Regulation 11 shall thereafter pay an annual fee plus applicable taxes, for every financial year to the Authority before the 31st day of January of the preceding financial year, as specified in (5) below.
- (5) The annual fee shall be higher of:
 - a. Rupees ten thousand; or

- b. One-twenty fifth of one per cent of the commission and other receipts from Insurers during the financial year preceding the year in which the annual fee is payable, rounded off to the next thousand.
- (6) If the Corporate Agent fails to pay the annual fee before the specified date the Competent Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee plus applicable taxes of -
- a. Two percent of the annual fee if the fee is paid within 30 days after the expiry of the last date of payment of annual fee; or
- b. Ten percent of the annual fee if the fee is paid after 30 days after the last date of payment of annual fee but before the end of financial year in which the annual fee was required to be paid.

Where the Corporate Agent has failed to pay the fee before the end of the financial year in which it is due to be paid, Certificate of Registration may be suspended or cancelled as specified under these regulations.

The annual fee plus applicable taxes shall be remitted in the electronic mode as specified by the Authority.

Explanation: Commission means any compensation including remuneration, or reward or any incentive, by whatever name called, paid by an insurer to the Corporate Agent as applicable, for soliciting or procuring or transacting insurance business. For the purpose of calculating the annual fee, the commission received by the Corporate Agent shall be as stated in its audited financial statements.

Other receipts include any receipts towards services provided for branding, marketing, advertising, publicity and promotional activities, including web branding, branch branding, display fees, logo fees and similar brand visibility initiatives, as well as business support and shared service costs.

(7) Applicants granted a Certificate of Registration (CoR) under Regulation 4, where the validity of such CoR commences during the period from 31st January to 31st March of any financial year, shall, in addition to the annual fee payable at the time of grant of CoR for the ongoing financial year, also pay the annual fee as specified in (5) for the immediately succeeding financial year.

(8) Applicants granted a Certificate of Registration (CoR) under Regulation 11, where the registration is obtained during the period from 31st January 2027 to 31st March 2027, shall, in addition to the annual fee of Rs.10,000/-, and an additional fee of seven hundred and fifty rupees payable, plus applicable taxes at the time of grant of CoR for the ongoing financial year, also pay the annual fee as specified in (5) for the immediately succeeding financial year.

(21) In Schedule VII,

a) Sub-clause (ii) of Clause 5 of Part I, shall be substituted, namely:-

“The Authorized Verifiers shall be employees of the Telemarketer and they shall be assigned to the Corporate Agent for the purpose of sale of insurance products.”

b) Sub-clause (iv) of Clause 5 of I, shall be omitted.

(22) Annexure 3 shall be omitted.

(23) After Annexure 3, 'Certificate to act as a Specified Person for a Corporate Agent' shall be substituted with 'Letter of Enrollment of Specified Person or Authorised Verifier', namely:-

**“INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (Registration of
Corporate Agents) Regulations, 2015**

Letter of Enrollment of Specified Person or Authorised Verifier for a Corporate Agent

Enrollment No.....

Name of Corporate Agent:.....

Address:.....

.....

Registration No.....

Category of Registration:.....

Name of the Certificate Holder:.....

Address:.....

.....

Having undergone the prescribed training and passing of the examination is hereby enrolled to act as Specified Person or Authorised Verifier of the above named Corporate Agent for servicing, procuring or soliciting insurance business.

Place:

Date:

Authorized signatory “

(24) For Form B, following form shall be substituted, namely:-

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (Registration of
Corporate Agents) Regulations, 2015**

FORM B

[See regulations 9 & 11]

Certificate of Registration

Registration No: CA

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a Certificate of Registration to to act as **Corporate Agent (Category)** under the Insurance Act, 1938.

The Certificate of Registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

This Certificate of Registration shall be valid from DD/MM/YYYY and shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended, or cancelled by the Authority.

(QR Code)

Place :

By Order

Date :

For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India

(25) Form C shall be omitted.

(26) Form B, the form of Duplicate Certificate of Registration shall be omitted.

(27) Annexure 5 shall be omitted.

(28) For Schedule AA, following Schedule shall be substituted, namely:-

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents)
Regulations, 2015**

³ [SCHEDULE – AA]

(See Regulation 8A)

Undertaking from an insurance intermediary that has majority shareholding of foreign investors

I.....(name of person), Chief Executive Officer (CEO) / Principal Officer (PO) / Managing Director
of..... (name of insurance intermediary), undertake the following:

1. (name of insurance intermediary) is incorporated as a limited company under the provisions of the Companies Act, 2013;
2. (name of person), Chairman of the Board of Directors or (name of person) Chief Executive Officer / Principal Officer / Managing Director of the insurance intermediary (strike out whichever is not applicable) is a resident Indian Citizen;
3. shall bring in the latest technological, managerial and other skills;

Signature of the PO/ CEO/ Managing Director

CHAPTER II**Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) Regulations, 2018****(1) Throughout the Regulations,**

- a) For the word “intermediary”, wherever it occurs, the words “insurance intermediary” shall be substituted.
- b) For the words “Foreign investor”, wherever they occur, the words “foreign promoter/investor” shall be substituted, unless the context otherwise requires.

(2) Heading of Chapter-II shall be substituted, namely:-

“Registration and issuance of fresh Certificate of Registration”

(3) Regulation 9, shall be substituted, namely:-

“1) The payment of fees and consequence of failure to pay fees shall be as specified under Schedule I – Form D.”

(4) In Regulation 10, sub-regulation (5), the word, “renewal” shall be substituted with the words, “renewal/application for issuance of fresh Certificate of Registration to the existing insurance brokers under Regulation 14” and the words, “and such Order is upheld by the Securities Appellate Tribunal or any Court of Law”, shall be omitted.**(5) Regulation 11, sub-regulation 1** shall be substituted, namely:-

“A Certificate of Registration once issued shall remain in force subject to payment of non-refundable annual fee as specified in Schedule I – Form D, until it is suspended or cancelled by the Authority or surrendered by the insurance broker.”

(6) In Regulation 13, the opening paragraph shall be substituted, namely:-

“The registration granted under these regulations shall, *inter alia*, be subject to the following conditions.”

(7) Regulation 13, sub-regulation 6 shall be substituted, namely:-

“The insurance broker shall maintain records of all insurance policies solicited through it, including the name and functional identity of the Broker Qualified Person/Point of Sales Person/Designated

Person/Authorised Verifier/any other authorised salesperson who sold the policy. The functional identity of such persons shall be assigned by the insurance broker based on a unique identity issued by the Central Government. The insurance broker shall ensure that such records are maintained in a manner that enables the Authority to access them remotely.

The proposal form, insurance policy and Certificate of Insurance shall record the name and functional identity of Broker Qualified Person/Point of Sales Person/ Designated Person/Authorised Verifier or any other authorised salesperson who sold the policy along with the mobile number and email address of the branch or office through which the policy was solicited.

Provided that, where a policy is solicited directly through the digital platform of the insurance broker, without the involvement of a Broker Qualified Person, Point of Sales Person, Designated Person, Authorised Verifier, or any other authorised salesperson, the proposal form, insurance policy document, and certificate of insurance shall disclose the telephone number and email address of the Principal Officer of the insurance broker.

Provided further that the requirements relating to tagging under this clause shall be applicable with effect from 1st January, 2027.

Explanation: "Point of Sales Person" or 'Designated Person' or 'other Authorised Salesperson' shall have the same meaning as assigned to it by the Authority in the concerned regulatory instructions."

(8) In Regulation 13, sub-regulation 10 shall be inserted, namely:-

"The Authority may, in the interest of policyholders, orderly growth of the insurance business, impose such conditions on the business of an insurance broker as may be deemed necessary at the time or after the grant of Registration under these regulations."

(9) Heading of Part --B shall be substituted, namely:-

"Procedure for issuance of fresh Certificate of Registration to the existing Insurance Brokers"

(10) In Regulation 14:

(a) The heading, "Renewal of Certificate of Registration" shall be substituted with "Procedure for issuance of fresh Certificate of Registration to the existing Insurance Brokers"

(b) Sub-regulation (1) shall be substituted, namely:

"An Insurance Broker granted registration prior to the commencement of these amendment regulations with a validity period of three years shall, at any time, prior to 31st January, 2027, apply to the Authority in Schedule I – Form B for issuance of Certificate of Registration under these regulations, along with payment of annual fee, as specified in Schedule I – Form D.

Provided that the Certificate of Registration so issued shall take effect from the date on which registration is granted under this regulation, and any Certificate of Registration issued prior thereto shall be deemed invalid.

Provided that where an Insurance Broker fails to submit the application before 31st January 2027, it may submit the application by 31st March, 2027 along with reasons for such delay and payment of the applicable annual fee and an additional fee of seven hundred and fifty rupees, plus applicable taxes, and the Authority may, if satisfied that undue hardship would be caused otherwise, consider such application.

Provided further that where the application is not submitted by the insurance broker by 31st March 2027, it shall cease to act as an insurance broker on and from the expiry of the aforementioned period and thereafter the insurance broker shall apply afresh for registration in accordance with regulation 5.”

- (c) In sub-regulation (3), the words, “renewal of” shall be substituted with the word “fresh” and the words, “renewal training” shall be substituted with the word “training”.
- (d) In sub-regulation (4), the words, “for renewal” shall be omitted.
- (e) In sub-regulation (8) the words, “renewal of the” shall be substituted with the words “issuance of fresh”, the word, “renew” shall be substituted with the word, “issue” and the words, “Schedule I – Form L for a period of three years” shall be substituted with the words “Schedule I – Form J”.
- (f) In sub-regulation (9) the words, “renewal application” shall be substituted with the words “application for issuance of fresh Certificate of Registration to the existing insurance brokers” and the words, “Schedule I – Form M” shall be substituted with the words “Schedule I – Form C”.

(11) Regulation 15 heading shall be substituted, namely:-

“Procedure where fresh Certificate of Registration to the existing insurance brokers is not issued”

(12) In Regulation 15, sub-regulation (1) the word, “renewal” shall be substituted with the words, “issuance of fresh Certificate of Registration to the existing insurance brokers”

(13) Regulation 16 heading shall be substituted, namely:-

“Effect of refusal to issue fresh Certificate of Registration”

(14) In Regulation 16, sub-regulation (1) the word, “renewal” shall be substituted with the words, “issuance of fresh Certificate of Registration to the existing insurance brokers”

(15) In Regulation 17, sub-regulation (2), the words, “Schedule I – Form Q with an endorsement thereon that it is a duplicate” shall be substituted with the words, “Schedule I – Form J”.

(16) Regulation 18, sub-regulation (1) shall be substituted, namely:-

“The insurance brokers shall have the word ‘Insurance Broker’/ ‘Insurance Brokers’/ ‘Insurance Broking’/ ‘Assurance Broker’/ ‘Assurance Brokers’/ ‘Assurance Broking’ in the name of the Insurance Broker to reflect their line of activity and to enable the public to differentiate insurance brokers registered with the Authority from other non-registered insurance related entities.”

(17) In Regulation 18, sub-regulation (3), the words, “validity period of the registration” shall be omitted.

(18) In Regulation 18, sub-regulation (5), shall be inserted, namely:-

“Any association/body of insurance brokers may use the word ‘Insurance’ or ‘assurance’ to indicate the nature of its organization, purposes and services.”

(19) In Regulation 24, the words, “throughout the validity of the period of the Certificate of Registration issued to them by the Authority” shall be substituted with the words, “while the Certificate of Registration remains in force”

(20) In Regulation 34, sub-regulation 9 shall be omitted.

(21) In Regulation 34, sub-regulation (10) shall be inserted, namely:-

“Insurance Broker having majority shareholding of foreign investors or earning commission in a financial year exceeding rupees ten crore shall disclose and continue to disclose on an annual basis to the Authority, details of commission earned, related party transactions, profits and dividend declared and paid in the form and manner as specified by the Authority from time to time. The insurance broker shall also publish these disclosures on its website in the form and manner as specified by the Authority.”

(22) In Regulation 39, sub-regulation 1(d) shall be omitted.

(23) In Regulation 39, sub-regulation (2), the words, “under Authority’s Business Analytical Project” shall be substituted with the words, “by the Authority from time to time”.

(24) In clause (k) of sub regulation (1) of Regulation 49, the words, “the fees” shall be omitted.

(25) In Regulation 50, sub-regulation (3) shall be inserted, namely:-

“The Certificate of Registration of an insurance broker shall stand suspended under clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act with effect from 1st April of the financial year for which the annual fee is payable, where the insurance broker fails to pay the annual fee within the time period specified in Schedule I – Form D. The Authority shall communicate the reasons for such suspension in writing to the insurance broker.

The Authority may revoke the suspension if the insurance broker pays the annual fee specified in Schedule I-Form D, together with an additional fee equal to twenty per cent of the annual fee, within three months from the date of suspension.

Where the insurance broker fails to pay such annual fee and additional fee within three months from the date of suspension, the Certificate of Registration shall stand cancelled under clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act.

Provided that if the Certificate of Registration is cancelled, the requirement of a one year waiting period under these regulations shall not apply.”

(26) In Schedule I, Form B:

(a) The heading shall be substituted namely: SCHEDULE I – Form B (see regulation 5(1) and 14(1))

(b) In point 2.7, the words, “Representing Indian Promoter/Indian Investor/Foreign Investor” shall be substituted with the words, “Representing Indian Promoter/Indian Investor/Foreign promoter/Foreign Investor”

(c) Under “Note:”, the words, “depending on the category applied for” shall be omitted, the words, “Demand Draft no.” shall be substituted with the words, “Transaction no.” and the words, “Other modes of payment” shall be omitted.

(d) The words, “non-renewal of registration” shall be substituted with the words, “suspension or surrender of registration”.

(27) In Schedule I, Form C,

(a) The heading shall be substituted, namely:-
“SCHEDULE I – Form C (see regulation 5(3) and 14(9))”

(b) Sl. No. A.b shall be substituted, namely:-

“Remittance of requisite fee through electronic mode, as specified under Regulation 9 of these Regulations”

(c) In Sl. No. A, after clause (o), clause (p) shall be inserted, namely:-

“Undertaking as per Schedule I – Form O.”

(28) Schedule I – Form D shall be substituted, namely.

SCHEDULE I – Form D

(see regulation 5(4), 9 and 14)

Instruction for Payment of fees

1. Every applicant shall at the time of application of registration under regulation 5 pay non-refundable application fee as set out below, plus applicable taxes.

Category of Insurance broker	Amount of application processing fee payable
Direct broker	Rs.25,000
Reinsurance broker	Rs.50,000
Composite broker	Rs.75,000

2. The Authority shall not process any application which is not accompanied by the required fees.
3. Upon receipt of communication for grant of registration under Regulation 5 or Regulation 14 the applicant shall pay the annual fee of Rs. 10,000/- plus applicable taxes for ongoing financial year within 15 days of receipt.
4. Further, upon receipt of the annual fee, *inter-alia*, the Authority shall grant registration to act or continue to act as an insurance broker under the category for which the application has been made.
5. An insurance broker granted a Certificate of Registration under Regulation 5 or Regulation 14 shall thereafter pay, an annual fee for every financial year to the Authority before 31st day of January of the preceding financial year, as specified in (6) below, plus applicable taxes
6. The annual fee shall be higher of:
 - a. Rupees ten thousand; or
 - b. One-twenty fifth of one per cent of the commission and other receipts from Insurers/clients during the financial year preceding the year in which the annual fee is payable, rounded off to the next thousand.
7. If the insurance broker fails to pay the annual fee before the specified date, the Competent Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee, plus applicable taxes, of -
 - a. Two percent of the annual fee if the fee is paid within 30 days after the expiry of the last date of payment of annual fee; or

b. Ten percent of the annual fee if the fee is paid after 30 days after the last date of payment of annual fee but before the end of financial year in which the annual fee was required to be paid.

Where the insurance broker has failed to pay the fee before the end of the financial year in which it is due to be paid, Certificate of Registration may be suspended or cancelled as specified under these regulations.

The application processing fee and annual fee shall be remitted in the electronic mode in the manner as specified by the Authority.

Explanation: Commission means any compensation including remuneration, or reward or any incentive, by whatever name called, paid by an insurer to the insurance broker as applicable, for soliciting or procuring or transacting insurance business. For the purpose of calculating the annual fee, the commission received by the insurance broker shall be as stated in its audited financial statements.

Other receipts include any receipts towards services provided for branding, marketing, advertising, publicity and promotional activities, including web branding, branch branding, display fees, logo fees and similar brand visibility initiatives, as well as business support and shared service costs and fees for claims consultancy, risk management and other similar services.

8. Applicants granted a Certificate of Registration under Regulation 5, where the validity of such Certificate of Registration commences during the period from 31st January to 31st March of any financial year, shall, in addition to the annual fee payable at the time of grant of Certificate of Registration for the ongoing financial year, also pay the annual fee for the immediately succeeding financial year.
9. Applicants granted a Certificate of Registration (CoR) under Regulation 14, where the registration is obtained during the period from 31st January, 2027 to 31st March, 2027, shall, in addition to the annual fee of Rs.10,000/-, and an additional fee of seven hundred and fifty rupees payable, plus applicable taxes at the time of grant of CoR for the ongoing financial year, shall also pay the annual fee as specified in (5) for the immediately succeeding financial year.

(29) **Schedule I – Form J** shall be substituted, namely.

Schedule I – Form J

See Regulation (10 and 14)

Certificate of Registration

Registration No:

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a Certificate of Registration to (name of insurance broker) to act as (category of insurance broker) Insurance broker under the Act.

The Certificate of Registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018.

The Certificate of Registration shall be valid from DD/MM/YYYY and shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended or cancelled by the Authority

[QR code]

Place :

Date :

By Order

For and on behalf of Insurance Regulatory
and Development Authority of India

(30) **Schedule I – Form K** shall be omitted.

(31) **Schedule I – Form L** shall be omitted.

(32) **Schedule I – Form M** shall be omitted.

(33) In **Schedule I – Form N**, the words, “renewal application” shall be substituted with the words “submission of application”.

(34) Schedule I – Form O shall be substituted, namely:-

SCHEDULE I – Form O

(see regulation 14(9) and regulation 5(3))

Undertaking Format

Ref. No.

Date

Insurance Regulatory and Development Authority of India

HYDERABAD

Sir,

UNDERTAKING

We hereby submit the following undertaking and confirm as under that:

1. There is no intervention by any other Regulatory Authority on the Promoters / Management/ Applicant Company as on the date (If there is any intervention, details of the intervention to be furnished).
2. The company has ___no. of persons in employment as on date and will ensure to employ a minimum of 2 broker qualified persons in employment, during the process of application, who have the necessary qualifications specified in Schedule I - Form-E and necessary experience to conduct the business of insurance broker under Reg. 8(2)(c).
3. No Director / Partner / Principal Officer / Employee / person directly or indirectly connected with the Applicant Company, has been refused in the past the grant of a registration by the Authority.
4. The Principal Officer and Broker qualified persons have not violated / will not violate the code of conduct as specified under Schedules I- Form H and Form-I, whichever is applicable, of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018.
5. The Applicant has complied with / will comply with Regulation 8(2) (j) confining to Main Objects of the Memorandum of Association filed with the Authority.
6. The Principal Officer is appointed exclusively to carry out the functions of the Insurance Broker under Regulation 4 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and is neither holding any full-time Directorship / Employment / Assignment in nor represents, either on full time or on part time basis, any other Insurance related or any other entity.
7. The directors / partners and employees of the company holding any directorship / employment in or representing any other insurance related entity do not have conflict of interests.
8. The Office Premises of the Insurance Broker and its branches are and will be exclusively used for Insurance Broking Business only and no other activity will be carried on.
9. We have assisted / will assist the clients in paying the premium as per section 64 VB of the Insurance Act, 1938 and have not paid / will not pay the premium on behalf of the clients, all the times.

10. We have not given / will not give any rebates of the whole or part of the commission or remuneration or reward payable or premium shown either directly or indirectly in compliance with section 41 of Insurance Act, 1938.
11. We confirm that the minimum capital requirement is not diluted / will not be diluted by its use in buying shares and securities as also keeping Inter Corporate Deposits and giving loans etc.
12. We confirm that the functions as specified in Regulation 4 of IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 have been complied / will be complied with during the Registration period.
13. We confirm that the company has complied with / will comply with the paid-up capital and net worth requirements as laid down by the Authority during the Registration period.
14. We confirm that the company has maintained / will maintain a professional indemnity policy as required by the Authority during the Registration period.
15. We confirm that the company has complied with / will comply with the segregation of insurance monies for its reinsurance related activities as required by the Authority during the Registration period.
16. We confirm that the shareholders/directors/PO/KMPs/BQP/Employees are not suffering from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42D of the Insurance Act 1938
17. We confirm that the shares of an insurance broker held as capital or contributions in case of a LLP or equivalent has not been pledged / shall not be pledged in any form or manner to secure credit or any other facility and shall at all times be unencumbered
18. We confirm that the investment in the applicant by the promoters/ shareholders/ partners has been / shall be from their own funds and not from any other sources.
19. We confirm that a Cyber Security Audit has been conducted during the current financial year in compliance with the IRDAI Cyber Security Guidelines, 2026, as amended from time to time. The audit report has been duly shared with all insurers, as specified in the IRDAI Cyber Security Guidelines, 2026
20. We confirm that the insurance broker has complied / will comply with the Guidelines on Prevention and Regulation of Dark Patterns issued by the Central Consumer Protection Authority (CCPA), as amended from time to time, in respect of all online interfaces with customers We further confirm that an assessment of our digital interfaces and customer communication channels has been conducted to ensure adherence to the said guidelines, and the compliance report has been duly reviewed and shared with the relevant stakeholders, including insurers, wherever applicable.
21. We confirm that the insurance broker has complied / will comply with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Maintenance of Information by the Regulated Entities and Sharing of Information by the Authority) Regulations, 2025, as amended from time to time. We further confirm that all specified information has been duly maintained in the manner and format specified under the said Regulations and that adequate systems and controls are in place to ensure accuracy, integrity, and timely availability of such information for regulatory purposes and sharing with the Authority as required.
22. The insurance broker has furnished / will furnish accurate and complete regulatory returns, reports, and any other information sought by the Authority, in such form and manner as may be specified by

the Authority from time to time and any failure to comply with this requirement shall be liable to a penalty in accordance with the provisions of Section 102 of the Act.

We confirm that the above statements are true to the best of our knowledge and belief.

We further undertake to comply with all the applicable Regulations / Rules / Notices / Circulars as specified by the Authority from time to time.

Principal Officer PO)	(Director, other than the
--------------------------	---------------------------

Signature	Signature
-----------	-----------

Name	Name
------	------

Date	Date
------	------

Note: Strike out the declaration not applicable and attach relevant information separately.

(35) In Schedule I – Form P, the words, “Demand Draft no.” shall be substituted with the words, “Transaction no.” and the words, “Other modes of payment” shall be omitted.

(36) Schedule I – Form Q shall be omitted.

(37) In Schedule II, Form R, Sl. No. 1(a), shall be substituted, namely:-

“The Indian Promoter, Foreign Promoter, Indian Investor and Foreign Investor shall have the same meaning as given in Regulation 3 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration, Capital Structure, Transfer of Shares and Amalgamation of Insurers) Regulations, 2024 or as amended from time to time”

(38) In Schedule II – Form UA, Annexure I-A, Annexure I-B, Annexure I-C, Annexure I-E and Annexure I-F, the words, “Validity of Registration” shall be omitted.

(39) Annexure I-D shall be omitted.

(40) In Schedule II – Form V, the words, “Registration validity to” shall be omitted.

(41) Schedule II – Form W shall be omitted.

(42) Schedule – AA shall be substituted, namely:-

[SCHEDULE – AA]

(See Regulation 21A)

Undertaking from an insurance intermediary that has majority shareholding of foreign investors

I _____ (name of person), Chief Executive Officer (CEO) / Principal Officer (PO) / Managing Director of (name of insurance intermediary), undertake the following:

1. (name of insurance intermediary) is incorporated as a limited company under the provisions of the Companies Act, 2013;

2 (name of person), Chairman of the Board of Directors or (name of person) Chief Executive Officer / Principal Officer / Managing Director of the insurance intermediary (strike out whichever is not applicable) is a resident Indian Citizen;

3. shall bring in the latest technological, managerial and other skills;

[Signature of the PO/ CEO/ Managing Director]

CHAPTER III**Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015****(1) Throughout the regulations,**

- a) for the word “Intermediary”, wherever they occur, the words “insurance intermediary” shall be substituted.

(2) In regulation (4), sub-regulation 4.1(b) shall be substituted namely:

“Remit the non-refundable fees as specified in Schedule XI”

(3) In regulation (5), sub-regulation (5.2), clause (vi), after the words “IMF”, the words “or Assurance Marketing” shall be inserted.**(4) In regulation (6), sub-regulation (6.1) (a) shall be substituted, namely: -**

“The Applicant shall have net worth of:

Not less than five lakh rupees, if the applicant is opting for only one district, which is an aspirational district.

Provided that upon the occurrence of any change in the status of aspirational district, the entity shall intimate the Authority and ensure compliance with the increased net worth requirements within six months from such change.”

(5) In regulation (9), sub-regulation (9.1), the words “throughout the validity of the period of the registration granted to it by the Authority” shall be substituted with “while the Certificate of Registration issued to them by the Authority remains in force”.**(6) In regulation (11), the following sub-regulations shall be inserted after the sub-regulation (11.8): -**

“11.9. Insurance Marketing Firm shall ensure that its Principal Officer and all Insurance Sales Persons appointed by it, complete, at least twenty-five hours of training, conducted by an examination body recognized by Authority, once every three years.

11.10. The Authority may, in the interest of policyholders, orderly growth of the insurance business, impose such conditions, on the business of an Insurance Marketing Firm as may be deemed necessary at the time or after the grant of Certificate of Registration under these regulations.”

(7) In regulation (12),

(a). sub-regulation (12.1), shall be substituted, namely: -

“Validity of Registration—A registration once issued shall remain in force subject to payment of non-refundable annual fee as specified in Schedule XI until it is suspended or cancelled by the Authority, or surrendered by the Insurance Marketing Firm”.

(b). In sub-regulation (12.4), the words “is renewed by the authority” shall be substituted with “obtains fresh Certificate of Registration under regulation 14”.

(8) In regulation (13), sub-regulation (13.1), after the words and figures “regulation 4”, the words “or Regulation 14” shall be inserted.**(9)** The heading of Chapter III shall be substituted namely:-

“Issuance of fresh certificate to the existing Insurance Marketing Firms”

(10) Regulation (14), shall be substituted, namely: -

“Procedure for issuance of fresh certificate to the existing Insurance Marketing Firms: -

(1) An Insurance Marketing Firm granted registration prior to the commencement of these amendment regulations with a validity period of three years shall, at any time, prior to 31st January 2027, apply to the Authority in Form AA for issuance of Certificate of Registration under these regulations, along with payment of annual fee as specified in Schedule XI.

Provided that the Certificate of Registration so issued shall take effect from the date on which registration is granted under this regulation, and any Certificate of Registration issued prior thereto shall be deemed invalid.

Provided that where an Insurance Marketing Firm fails to submit the application before 31st January 2027, it may submit the application by 31st March 2027 along with reasons for such delay and payment of the applicable annual fee and an additional fee of seven hundred and fifty rupees, and the Authority may, if satisfied that undue hardship would be caused otherwise, consider such application.

Provided further that where the application is not submitted by the Insurance Marketing Firm by 31st March 2027, it shall cease to act as an Insurance Marketing Firm on and from the expiry of the aforementioned period and thereafter, the Insurance Marketing Firm shall apply afresh for registration in accordance with regulation 4.

(2) An application under sub-regulation (1) shall be processed in the manner specified under regulation 5 and regulation 10.

(3) The Authority, upon being satisfied that the applicant complies with the requirements under these regulations, may issue a Certificate of Registration in Form B.”

(11) Regulation (15), shall be substituted, namely:-

“**Nomenclature for Associations/bodies:** Any association/body of Insurance Marketing Firms may use the word “Insurance” or “Assurance”, to indicate the nature of its organization, purposes and services. “

(12) Regulation (16) shall be substituted namely: -

“Effect of refusal to grant Certificate of Registration to Insurance Marketing Firm:

Any Applicant, whose application for Grant of Certificate of Registration under regulation 14 has been refused by the Authority, shall, on and from the date of the receipt of the communication under regulation 13 cease to act as an Insurance Marketing Firm and cease to solicit Insurance business and conduct insurance activities. The Insurance Marketing Firm, however, shall take necessary steps as specified in regulation 12.3 of these regulations.”

(13) In regulation 17, sub-regulation 17.2, the words “Form C” shall be substituted with “Form B”.

(14) In regulation (26), the following clauses shall be inserted after the clause (vi): -

“(vii). An Insurance Marketing Firm shall maintain records of all insurance policies solicited through it, including the name and functional identity of the Insurance Sales Person/ Point of Sales Person/ Designated Person/ Authorised Verifier/ or any other authorised salesperson who sold the policy. The functional identity of such persons shall be assigned by the Insurance Marketing Firm based on a unique identity issued by the Central Government. The Insurance Marketing Firm shall ensure that such records are maintained in a manner that enables the Authority to access them remotely.

The proposal form, insurance policy and Certificate of Insurance shall record the name and functional identity of Insurance Sales Person/ Point of Sales Person/ Designated Person/ Authorised Verifier or any other authorised salesperson who sold the policy along with the mobile number and email address of the branch or office through which the policy was solicited.

Provided further that the requirements relating to tagging under this clause shall be applicable with effect from 1st January, 2027.

Explanation: 'Point of Sales Person' or 'Designated Person' or 'other Authorised Salesperson' shall have the same meaning as assigned to it by the Authority in the concerned regulatory instructions."

"(viii). An Insurance Marketing Firm having majority shareholding of foreign investors or earning commission in a financial year exceeding rupees ten crores shall disclose and continue to disclose on an annual basis to the Authority, details of commission earned, related party transactions, profits and dividend declared and paid in the form and manner as specified by the Authority from time to time. The Insurance Marketing Firm shall also publish these disclosures on its website in the form and manner as specified by the Authority."

"(ix). Every Insurance Marketing Firm shall maintain and disclose, as part of its annual financial statements, a separate schedule detailing revenues received from insurance intermediation and other income/receipts from insurers. A copy of the audited financial statements along with the auditor's report thereon shall be submitted to the Authority before 30th September every year."

(15) In regulation (27),

- (a) In the Heading, the words "Reports" shall be substituted as "Returns/Documents".
- (b) sub-regulation (27.1) shall be substituted namely: -

"The Insurance Marketing Firm shall furnish accurate and complete regulatory returns, reports, and any other information sought by the Authority, in such form and manner as may be specified by the Authority from time to time. Any Insurance Marketing Firm that fails to comply with this requirement shall be liable to a penalty in accordance with the provisions of Section 102 of the Act."

(16) In Schedule (I), Part III

- (a) opening line of clause (b), the words "or renewal" shall be omitted.
- (b) clause (c), the words "new or renewal of existing" shall be omitted.

(17) In Schedule (IV), Part III

- (a) clause (3), the words "and renewal application" shall be omitted.
- (b) clause (6), The words "and renewal. The additional areas opted at the time of renewal shall be considered on merits" shall be omitted.
- (c) clause (7) shall be omitted.
- (d) clause (8) shall be omitted.

(18) In Schedule (V), Part (I), clause (3), sub- clause (f), the words "at the time of renewal of the registration of the Insurance Marketing Firm or" shall be omitted.

(19) In Schedule (VIII), Part (III), after the clause (ii), the following clause shall be inserted:-

“(iii) The Certificate of Registration of an Insurance Marketing Firm shall stand suspended under clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act with effect from 1st April of the financial year for which the annual fee is payable, where the Insurance Marketing Firm fails to pay the annual fee within the time period specified in Schedule XI. The Authority shall communicate the reasons for such suspension in writing to the Insurance Marketing Firm.

The Authority may revoke the suspension if the Insurance Marketing Firm pays the annual fee specified in Schedule XI, together with an additional fee equal to twenty per cent of the annual fee, within three months from the date of suspension.

Where the Insurance Marketing Firm fails to pay such annual fee and additional fee within three months from the date of suspension, the Certificate of Registration shall stand cancelled under clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act.

The procedure to be followed while initiation of Action against the Insurance Marketing Firm under this regulation is as specified in clauses (4) and (5) of Part II above.”

(20) After Schedule X, the following provision shall be inserted namely:

Schedule XI

[See regulation 4 & 14]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015

Instruction for Payment of fees and the consequences of failure to pay fees —

- (1) Every applicant shall at the time of application of registration under regulation 4 pay non-refundable application fee of Rs. 10,000/-plus applicable taxes. The fees shall be payable by recognized electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India, as specified. No application shall be processed without the application fee.
- (2) Upon receipt of a communication for grant of registration under Regulation 4 or Regulation 14, the applicant shall pay the annual fee of Rs.10,000/- plus applicable taxes for ongoing financial year , within 15 days of receipt.

- (3) Upon receipt of the annual fee inter-alia, the Authority shall grant registration to act or continue to act as an Insurance Marketing Firm.
- (4) An Insurance Marketing Firm granted a Certificate of Registration under Regulation 4 or Regulation 14 shall thereafter pay an annual fee plus applicable taxes, for every financial year to the Authority before the 31st day of January of the preceding financial year, as specified in (5) below.
- (5) The annual fee shall be higher of:
- Rupees ten thousand; or
 - One-twenty fifth of one per cent of the commission and other receipts from Insurer during the financial year preceding the year in which the annual fee is payable rounded off to the next thousand.
- (6) If an Insurance Marketing firm fails to pay the annual fee before the specified date the Competent Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee plus applicable taxes of --
- Two percent of the annual fee if the fee is paid within 30 days after the expiry of the last date of payment of annual fee; or
 - Ten percent of the annual fee if the fee is paid after 30 days after the last date of payment of annual fee but before the end of financial year in which the annual fee was required to be paid.

Where the Insurance Marketing Firm has failed to pay the fee before the end of the financial year in which it is due to be paid, Certificate of Registration may be suspended or cancelled as specified under these regulations.

The annual fee plus applicable taxes shall be remitted in the electronic mode as specified by the Authority.

Explanation: Commission means any compensation including remuneration, or reward or any incentive, by whatever name called, paid by an insurer to the Insurance Marketing Firm as applicable, for soliciting or procuring or transacting insurance business. For the purpose of calculating the annual fee, the commission received by the Insurance Marketing Firm shall be as stated in its audited financial statements.

Other receipts include any receipts towards services provided for branding, marketing, advertising, publicity and promotional activities, including web branding, branch branding, display fees, logo fees and similar brand visibility initiatives, as well as business support and shared service costs.

- (7) Applicants granted a Certificate of Registration (CoR) under Regulation 4, where the validity of such CoR commences during the period from 31st January to 31st March of any financial year, shall, in

addition to the annual fee payable at the time of grant of CoR for the ongoing financial year, also pay the annual fee as specified in (5) for the immediately succeeding financial year.

- (8) Applicants granted a Certificate of Registration (CoR) under Regulation 14, where the registration is obtained during the period from 31st January 2027 to 31st March 2027, shall, in addition to the annual fee of Rs. 10,000/-, and an additional fee of seven hundred and fifty rupees payable, plus applicable taxes at the time of grant of CoR for the ongoing financial year, also pay the annual fee as specified in (5) for the immediately succeeding financial year.

(21) Schedule AA shall be substituted namely: -

[SCHEDULE – AA]

Undertaking from an insurance intermediary that has majority shareholding of foreign investors

I.....(name of person), Chief Executive Officer (CEO) / Principal Officer (PO) / Managing Director of..... (name of insurance intermediary), undertake the following:

1. (name of insurance intermediary) is incorporated as a limited company under the provisions of the Companies Act, 2013;
2. (name of person), Chairman of the Board of Directors or (name of person) Chief Executive Officer / Principal Officer / Managing Director of the insurance intermediary (strike out whichever is not applicable) is a resident Indian Citizen;
3. shall bring in the latest technological, managerial and other skills;

Signature of the PO/ CEO/ Managing Director

(22) In Form-(A), Point No. (7), under note, the words and figures “Regulation 4” shall be substituted as “Schedule XI”.

(23) In Form- (A), under declaration, point No. (e), the words “non-renewal” shall be substituted as “suspension or surrender”.

(24) In Annexure- 2, A(b)- shall be substituted namely: -

“Remittance of requisite fee through recognized electronic means, as prescribed under Schedule XI of IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015”

(25) Form-B shall be substituted namely: -

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015

FORM B

[See regulation 10&14]

Certificate of Registration

Registration No: IMF-----

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby grants a Certificate of Registration to "-----" to act as Insurance Marketing Firm (IMF) under the Insurance Act, 1938.

The Certificate of Registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firms) Regulations, 2015.

The Certificate of Registration shall be valid from DD/MM/YYYY and shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended or cancelled by the Authority. The IMF shall be allowed to operate in the state of -----.

[QR CODE]

By Order

Place :

Date :

For and on behalf of Insurance Regulatory
and Development Authority of India

(26) Form-C – The format of Duplicate Certificate of Registration Shall be omitted.

(27) Form-D- The format of Certificate of Renewal of Registration shall be omitted.

(28) In Form-AA,

- a) the heading “Application for renewal of insurance marketing firm registration” shall be substituted with “Application for issuance of Certificate of Registration for existing Insurance Marketing Firms under Regulation 14”.
- b) **Under Point No. (6)**, under Note, the words and figures “Regulation 14” shall be substituted as “Schedule XI”.
- c) **Under Declaration, Point No. (g)**, the words “renewal of” shall be omitted.
- d) **Under Declaration, Point No. (k)**, the words “non-renewal” shall be substituted with “suspension or surrender”.
- e) **After signatures of the applicant, the heading** “Documentation to be attached for renewal registration of Insurance Marketing Firm Registration” shall be substituted with “Documentation to be attached for registration of Insurance Marketing Firm under regulation 14”.
- f) **Under A, submission of completed Application, In Point (a)**, the words “Form-D” Shall be substituted with “Form-AA”.
- g) **Under A, submission of completed Application, In Point (e)**, the word “Renewal” shall be omitted.

CHAPTER IV**Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017****(1) Throughout the regulations,**

- (a) for the word “intermediary”, wherever they occur, the words “insurance intermediary” shall be substituted.

(2) In regulation (3), clause (a), the words “or renewal of Certificate of Registration” shall be omitted.**(3) In regulation (4), clause (b),** shall be substituted namely: -

“The application shall be accompanied by such fees as specified in Schedule XIII”

(4) In regulation (7), clause (b), sub-clause (ix) shall be substituted namely: -

“whether the applicant has paid such fees as specified in Schedule XIII”.

(5) In regulation (9), clause (c), shall be substituted namely:

“In case a registration issued under these regulations or issued under the regulations which were in force prior to the notification of these regulations, is cancelled / surrendered, or application for registration under these regulation or application for issuance of fresh Certificate of Registration to the existing Insurance Web Aggregators is rejected for the reasons specified therein, the applicant may make a fresh application for registration only after lapse of one year from the effective date of such cancellation/surrender or rejection of application for registration or application for issuance of fresh Certificate of Registration to the existing Insurance Web Aggregators, for consideration of the Authority. The Authority may consider such application on merit as per regulation 7 and regulation 9. Provided that if the registration is cancelled under sub-clause (f) of clause 2 of Form-X of Schedule IX, requirement of a one-year waiting period under this regulation shall not apply.”

(6) In Regulation (10),

- (a) in the opening line, after the words “Regulation 9”, the words “or the renewal granted under” shall be substituted the words “or”.

- (b) sub-regulation 10(f) shall be substituted namely:

“An Insurance Web Aggregator shall maintain records of all insurance policies solicited through it, including the name and functional identity of the Point of Sales Person/ Designated Person/ Authorised Verifier/ or any other authorised salesperson who sold the policy. The functional identity of such persons shall be assigned by the Insurance Web Aggregator based on a unique identity issued by the Central Government. The Insurance Web Aggregator shall ensure that such records are maintained in a manner that enables the Authority to access them remotely.

The proposal form, insurance policy and Certificate of Insurance shall record the name and functional identity of Point of Sales Person/ Designated Person/ Authorised Verifier or any other authorised salesperson who sold the policy along with the mobile number and email address of the branch or office through which the policy was solicited.

Provided that, where a policy is solicited directly through the digital platform of the Insurance Web Aggregator, without the involvement of a Point of Sales Person, Designated Person, Authorised Verifier, or any other authorised salesperson, the proposal form, insurance policy document, and certificate of insurance shall disclose the telephone number and email address of the Principal Officer of Insurance Web Aggregator.

Provided further that the requirements relating to tagging under this clause shall be applicable with effect from 1st January, 2027.

Explanation: ‘Point of Sales Person’ or ‘Designated Person’ or ‘other Authorised Salesperson’ shall have the same meaning as assigned to it by the Authority in the concerned regulatory instructions.”

(c) the following clause shall be inserted after clause (h) :-

“(i) The insurance web aggregator shall ensure that its Principal Officer and all Authorized Verifiers appointed by it, complete at least twenty-five hours of training, conducted by an examination body recognised by the Authority, once every three years.”

(ii) The Authority may, in the interest of policyholders, orderly growth of the insurance business, impose such conditions, on the business of an insurance web aggregator as may be deemed necessary at the time or after the grant of Certificate of Registration under these regulations.”

(7) Regulation (11) shall be substituted namely: -

“A registration once issued shall remain in force subject to payment of non-refundable annual fee as specified in Schedule XIII until it is suspended or cancelled by the Authority or surrendered by the Insurance Web Aggregator.”

(8) In regulation (12), In clause (a), after the words “application”, the words “under regulation 3 or regulation 13” shall be inserted.

(9) The heading of Chapter III shall be substituted, namely:-

“Issuance of fresh certificate to the existing Insurance Web Aggregators”

(10) Regulation (13), shall be substituted, namely: -

“Procedure for issuance of fresh certificate to the existing Insurance Web Aggregators: -

(1) Insurance Web Aggregator granted registration prior to the commencement of these amendment regulations with a validity period of three years, shall at any time, prior to 31st January 2027, apply to the Authority in Form F for issuance of Certificate of Registration under these regulations, along with payment of annual fee as specified in Schedule XIII.

Provided that the Certificate of Registration so issued shall take effect from the date on which registration is granted under this regulation, and any Certificate of Registration issued prior thereto shall be deemed invalid.

Provided that where an Insurance Web Aggregator fails to submit the application before 31st January 2027, it may submit the application by 31st March 2027, along with reasons for such delay and payment of the applicable annual fee and an additional fee of seven hundred and fifty rupees, and the Authority may, if satisfied that undue hardship would be caused, consider such application.

Provided further that where the application is not submitted by the Insurance Web Aggregator by 31st March 2027, it shall cease to act as an Insurance Web Aggregator on and from the expiry of the aforementioned period and thereafter, the Insurance Web Aggregator shall apply afresh for registration in accordance with regulation 3.”

(2) An application under sub-regulation (1) shall be processed in the manner specified under regulation 7 and regulation 9.

(3) The Authority, upon being satisfied that the applicant complies with the requirements under these regulations, may issue a Certificate of Registration in Form E.”

(11) Regulation (14) shall be omitted.

(12) In regulation (15),

(a) In the Heading, the words “renew” shall be substituted with the words “issue a”.

(b) The words “for renewal” shall be substituted as “under regulation 13”.

(13) In sub-regulation 16(b), the words “Form-J (Duplicate Certificate of Registration) of schedule II with an endorsement thereon that it is a duplicate one” shall be substituted with “Form-E”.

(14) In regulation 23, the following clauses shall be inserted after the clause (b):

“(c) An Insurance Web Aggregator having majority shareholding of foreign investors or earning commission in a financial year exceeding rupees ten crore, shall disclose and continue to disclose on an annual basis to the Authority, details of commission earned, related party transactions, profits and dividend declared and paid in the form and manner as specified by the Authority from time to time. The Insurance Web Aggregator shall also publish these disclosures on its website in the form and manner as specified by the Authority.

(d) An Insurance Web Aggregator shall furnish accurate and complete regulatory returns, reports, and any other information sought by the Authority, in such form and manner as may be specified by the Authority from time to time. Any Insurance Web Aggregator that fails to comply with this requirement shall be liable to a penalty in accordance with the provisions of Section 102 of the Act.”

(15) In Schedule I, Form E Shall be substituted namely: -

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

Schedule I – Form E

See Regulation 9 & 13

Certificate of Registration

Registration No: IRDAI / INT / WBA /

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a Certificate of Registration to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX to act as INSURANCE WEB AGGREGATOR under the Insurance Act, 1938.

The Certificate of Registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of IRDAI (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017.

The Certificate of Registration shall be valid from DD/MM/YYYY and shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended or cancelled by the Authority.

[QR CODE]

By Order

Place:

Date:

For and on behalf of
Insurance Regulatory
and Development Authority of India

(16) Schedule II, Form-F,

(a) Heading shall be substituted as follows:

“APPLICATION FOR ISSUANCE OF FRESH CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR EXISTING INSURANCE WEB AGGREGATORS UNDER REGULATION 13”

(b) In Instruction 1, 2 and 5, The Words “Renewal” shall be omitted.

(c) Instruction 3 shall be substituted as “Application will be considered only if the application is complete in all respects”.

(d) In Point No.5, the words “Renewal” shall be omitted.

(17) In Schedule II, Form-G,

(a) In the heading, the words “Renewal” shall be omitted.

(b) In Point No. (5), the words “renewal” shall be omitted.

(c) In Point No. (6) shall be substituted as “Payment of Fees as mentioned under Schedule XIII.

(18) In Schedule II, Form- H shall be omitted.**(19) In Schedule II, Form-J shall be omitted.****(20) In Schedule IX, Form X,**

(a) In clause (1), the following sub-clauses shall be inserted after sub-clause (b):

“(c) The Authority shall communicate the decision to the Insurance Web Aggregator within thirty days from the date of taking such decision stating therein the grounds on which the decision is taken.

(d) The Insurance Web Aggregator, aggrieved by the order of the Authority, may appeal to the Securities Appellate Tribunal.”

(b) In clause (2), the following sub-clause shall be inserted after sub-clause (e):-

“(f) The Certificate of Registration of a Insurance Web Aggregator shall stand suspended under clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act with effect from 1st April of the financial year for which the annual fee is payable, where the Insurance Web Aggregator fails to pay the annual fee within the time period specified in Schedule XIII. The Authority shall communicate the reasons for such suspension in writing to the Insurance Web Aggregator. The Authority may revoke the suspension if the Web Aggregator pays the annual fee specified in Schedule XIII, together with an additional fee equal to twenty per cent of the annual fee, within three months from the date of suspension.

Where the Insurance Web Aggregator fails to pay such annual fee and additional fee within three months from the date of suspension, the Certificate of Registration shall stand cancelled under clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act.

The procedure to be followed while initiation of Action against the Insurance Web Aggregator under this regulation is as specified in clauses (c) and (d) of clause (1) above.”

- (c) In clause (5), In the Heading, the words “renewal of” shall be omitted.
- (d) In clause (5), sub-clause (a), the words “renewal of “shall be omitted.
- (e) In clause (5), sub-clause (b), the words “renewal” shall be omitted.
- (f) In clause (5), sub-clause (c), the words “to cancel a renewal/Certificate of Registration” shall be omitted.

(21) After Schedule XII, the following provision shall be inserted: -

Schedule XIII

[See regulation 3 & 13]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Web Aggregators) Regulations, 2017

Instruction for Payment of fees and the consequences of failure to pay fees —

- (1) Every applicant shall at the time of application of registration under regulation 3 pay non-refundable application fee of Rs. 10,000/-plus applicable taxes. The fees shall be payable by recognized electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India, as specified. No application shall be processed without the application fee.
- (2) Upon receipt a communication for grant of registration under Regulation 3 or Regulation 13, the applicant shall pay the annual fee of Rs.10,000/- plus applicable taxes for ongoing financial year, within 15 days of receipt.
- (3) Upon receipt of the annual fee *inter-alia*, the Authority shall grant registration to act or continue to act as an insurance web aggregator.

- (4) An Insurance Web Aggregator granted a Certificate of Registration under Regulation 3 or Regulation 13 shall thereafter pay an annual fee plus applicable taxes, for every financial year to the Authority before the 31st day of January of the preceding financial year, as specified in (5) below.
- (5) The annual fee shall be higher of:
- Rupees ten thousand; or
 - One-twenty fifth of one per cent of the commission and other receipts from Insurer during the financial year preceding the year in which the annual fee is payable rounded off to the next thousand.
- (6) If an Insurance Web Aggregator fails to pay the annual fee before the specified date the Competent Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee plus applicable taxes of --
- Two percent of the annual fee if the fee is paid within 30 days after the expiry of the last date of payment of annual fee; or
 - Ten percent of the annual fee if the fee is paid after 30 days after the last date of payment of annual fee but before the end of financial year in which the annual fee was required to be paid.

Where the Insurance Web Aggregator has failed to pay the fee before the end of the financial year in which it is due to be paid, Certificate of Registration may be suspended or cancelled as specified under these regulations.

The annual fee plus applicable taxes shall be remitted in the electronic mode as specified by the Authority.

Explanation: Commission means any compensation including remuneration, or reward or any incentive, by whatever name called, paid by an insurer to the Insurance Web Aggregator as applicable, for soliciting or procuring or transacting insurance business. For the purpose of calculating the annual fee, the commission received by the Insurance Web Aggregator shall be as stated in its audited financial statements.

Other receipts include any receipts towards services provided for branding, marketing, advertising, publicity and promotional activities, including web branding, branch branding, display fees, logo fees and similar brand visibility initiatives, as well as business support and shared service costs.

- (7) Applicants granted a Certificate of Registration (CoR) under Regulation 3, where the validity of such CoR commences during the period from 31st January to 31st March of any financial year, shall, in addition to the annual fee payable at the time of grant of CoR for the ongoing financial year, also pay the annual fee as specified in (5) for the immediately succeeding financial year.
- (8) Applicants granted a Certificate of Registration (CoR) under Regulation 13, where the registration is obtained during the period from 31st January 2027 to 31st March 2027, shall, in addition to the annual

fee of Rs.10,000/-, and an additional fee of seven hundred and fifty rupees payable, plus applicable taxes at the time of grant of CoR for the ongoing financial year, also pay the annual fee as specified in (5) for the immediately succeeding financial year.

(22) Schedule AA shall be substituted namely: -

[SCHEDULE – AA]

Undertaking from an insurance intermediary that has majority shareholding of foreign investors

I.....(name of person), Chief Executive Officer (CEO) / Principal Officer (PO) / Managing Director of..... (name of insurance intermediary), undertake the following:

1. (name of insurance intermediary) is incorporated as a limited company under the provisions of the Companies Act, 2013;
2. (name of person), Chairman of the Board of Directors or (name of person) Chief Executive Officer / Principal Officer / Managing Director of the insurance intermediary (strike out whichever is not applicable) is a resident Indian Citizen;
3. shall bring in the latest technological, managerial and other skills;

Signature of the PO/ CEO/ Managing Director

CHAPTER V

**Amendment to the Insurance Regulatory and Development Authority of
India (Insurance Services by Common Public Service Centers) Regulations, 2019**

(1) Throughout the Regulations,

for the word “Intermediary”, wherever they occur, the words “insurance intermediary” shall be substituted.

(2) In Regulation 5,

a) sub-regulation 5.1 shall be substituted, namely:-

“Validity of registration shall be subject to payment of non-refundable annual fee as specified in Schedule VIII, a registration once issued shall remain in force until it is suspended, or cancelled by the Authority or surrendered by the CPSC-SPV”

b) sub-regulation 5.2 shall be substituted, namely:-

“In case the registration of the CPSC-SPV is surrendered, suspended or cancelled, the policyholders shall be serviced by the respective insurers.”

c) sub-regulation 5.3 shall be omitted.

(3) The heading of Part II shall be substituted, namely:-

“Certification of Existing CPSC-SPV”

(4) In Regulation 6, sub-regulation 6.1 shall be substituted, namely:-

A CPSC-SPV granted registration prior to the commencement of these amendment regulations with a validity period of three years shall, at any time prior to 31st January 2027, apply to the Authority in Form A for issuance of Certificate of Registration under these regulations, along with payment of annual fee as specified in Schedule VIII.

Provided that the Certificate of Registration so issued shall take effect from the date on which registration is granted under this regulation, and any Certificate of Registration issued prior thereto shall be deemed invalid.

Provided that where a CPSC-SPV fails to submit the application before 31st January 2027, it may submit the application by 31st March 2027 along with reasons for such delay and payment of the applicable annual fee and an additional fee of seven hundred and fifty rupees, and the Authority may, if satisfied that undue hardship would be caused otherwise, consider such application.

Provided further that where the application is not submitted by the CPSC-SPV by 31st March 2027, it shall cease to act as CPSC-SPV on and from the expiry of the aforementioned period and thereafter, the CPSC-SPV shall apply afresh for registration in accordance with regulation 4.

(5) In Regulation 6,

a) sub-regulation 6.2 shall be substituted, namely:-

“The Authority, on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions, shall grant registration in Form B”

b) sub-regulation 6.3 shall be omitted.

c) sub-regulation 6.4 shall be omitted.

d) sub-regulation 6.5 shall be omitted.

e) sub-regulation 6.6 shall be omitted.

(6) In Regulation 7, sub-regulation 7.2 the words “Form-B2” shall be substituted with “Form-B”.

(7) After clause (f) of part I of Schedule II following clause shall be inserted, namely:-

“(g) The CPSC-SPV shall maintain records of all insurance policies solicited through it, including the name and functional identity of the RAP/VLE-Ins who solicited or sold the policy. The functional identity of such persons shall be assigned by the RAP/VLE-Ins based on a unique identity issued by the Central Government. The RAP/VLE-Ins shall ensure that such records are maintained in a manner that enables the Authority to access them remotely.

The proposal form, insurance policy and Certificate of Insurance shall record the name and functional identity of RAP/VLE-Ins who sold the policy along with the mobile number and email address of the branch or office through which the policy was solicited.

Provided that, where a policy is solicited directly through the digital platform of the CPSC-SPV, without the involvement of a RAP/VLE-Ins, the proposal form, insurance policy document, and certificate of insurance shall disclose the telephone number and email address of the Principal Officer.

(8) Part III of Schedule VI shall be substituted, as under:-

“Part III

Suspension of Registration of the CPSC-SPV without notice

1. The Registration of CPSC-SPV may be suspended without notice, provided the Authority has communicated the reasons for the same in writing:

(i) if it is found guilty of fraud, or is convicted for a criminal offence;

(ii) commits such defaults, which require immediate action in the opinion of the Authority.

2. The Certificate of Registration of a CPSC-SPV shall stand suspended under clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act with effect from 1st April of the financial year for which the annual fee is payable, where the CPSC-SPV fails to pay the annual fee within the time period specified in Schedule VI. The Authority shall communicate the reasons for such suspension in writing to the CPSC-SPV.

The Authority may revoke the suspension if the CPSC-SPV pays the annual fee specified in Schedule VIII, together with an additional fee equal to twenty per cent of the annual fee, within three months from the date of suspension.

Where the CPSC-SPV fails to pay such annual fee and additional fee within three months from the date of suspension, the Certificate of Registration shall stand cancelled under clause (v) of sub-section (6) of Section 42D of the Act.

The procedure to be followed while initiation of Action against the CPSC-SPV post suspension of registration, under this Part is as specified in clauses of Part II above.

(9) After Schedule VII, following schedule shall be inserted as under-

Schedule VIII

[See Regulation 5.1 and 6.1]

Under Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Services by Common Public Service Centres) Regulations, 2019

Instruction for Payment of fees and the consequences of failure to pay fees —

- (1) Every applicant shall at the time of application of registration under Regulation 3 pay non-refundable application fee of Rs. 10,000/- plus applicable taxes. The fees shall be payable by recognized electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India, as specified. No application shall be processed without the application fee.
- (2) Upon receipt of a communication for grant of registration under Regulation 4 or Regulation 6, the applicant shall pay the annual fee of Rs. 10,000/- plus applicable taxes for ongoing financial year within 15 days of receipt.
- (3) Upon receipt of the annual fee *inter-alia*, the Authority shall grant registration to act or continue to act as a CPSC-SPV under the category for which the application has been made.
- (4) A CPSC-SPV granted a Certificate of Registration under Regulation 4 or Regulation 6 shall thereafter pay an annual fee plus applicable taxes, for every financial year to the Authority before the 31st day of January of the preceding financial year, as specified in (5) below.

(5) The annual fee shall be higher of:

- a. Rupees ten thousand; or
- b. One-twenty fifth of one per cent of the commission and other receipts from Insurer during the financial year preceding the year in which the annual fee is payable, rounded off to the next thousand.

(6) If the CPSC-SPV fails to pay the annual fee before the Specified date the Competent Authority may accept the payment of annual fee along with an additional fee of --

- a. Two percent of the annual fee if the fee is paid within 30 days after the expiry of the last date of payment of annual fee; or
- b. Ten percent of the annual fee if the fee is paid after 30 days after the last date of payment of annual fee but before the end of financial year in which the annual fee was required to be paid.

Where the CPSC-SPV has failed to pay the fee before the end of the financial year in which it is due to be paid, Certificate of Registration may be suspended or cancelled in terms of provisions of these Regulations.

The annual fee plus applicable taxes shall be remitted in the electronic mode as specified by the Authority.

Explanation: Commission means any compensation including remuneration, or reward or any incentive, by whatever name called, paid by an insurer to the CPSC-SPV as applicable, for soliciting or procuring or transacting insurance business. For the purpose of calculating the annual fee, the commission received by the CPSC-SPV shall be as stated in its audited financial statements.

Other receipts include any receipts towards services provided for branding, marketing, advertising, publicity and promotional activities, including web branding, branch branding, display fees, logo fees and similar brand visibility initiatives, as well as business support and shared service costs.

(7) Applicants granted a Certificate of Registration (CoR) under Regulation 4 where the validity of such CoR commences during the period from 31st January to 31st March of any financial year, shall, in

addition to the annual fee payable at the time of grant of CoR for the ongoing financial year, also pay the annual fee as specified in (5) for the immediately succeeding financial year.

- (8) Applicants granted a Certificate of Registration (CoR) under Regulation 6, where the registration is obtained during the period from 31st January 2027 to 31st March 2027, shall, in addition to the annual fee of Rs.10,000/-, and an additional fee of seven hundred and fifty rupees payable, plus applicable taxes at the time of grant of CoR for the ongoing financial year, also pay the annual fee as specified in (5) for the immediately succeeding financial year.

(10) In Form A, the words “Renewal of Registration” shall be omitted

(11) FORM B2 shall be omitted

(12) For FORM B following form shall be substituted, namely:

Form- B

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(Regulation 4 & 6)

Registration Code:

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a Certificate of Registration to to act as CPSC-SPV under the Insurance Act, 1938.

The Certificate of Registration shall be subject to conditions imposed by the Authority and the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Services by Common Public Service Centers) Regulations, 2019.

This Certificate of Registration shall be valid from DD/MM/YYYY and shall remain in force subject to payment of annual fee, until it is suspended, or cancelled by the Authority.

[QR Code]

Place:

Date:

By Order

For and on behalf of
Insurance Regulatory and Development Authority of India

G. R. SURYA KUMAR, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./248/2026-27]